भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय–1 : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रूझान	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2	2
संग्रह की लागत	1.3	3
कर निर्धारण के बकाये मामले	1.4	3
प्रति करदाता व्यापार कर संग्रह	1.5	3
राजस्व के बकाये	1.6	4
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.7	4
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	1.8	5
लोक लेखासमिति में विचार–विमर्श हेतु अनिस्तारित प्रस्तर/समीक्षायें	1.9	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तरवर्ती सारांश	1.10	6
स्वीकृत मामलों की राजस्व की वसूली	1.11	7
अध्याय–2 : व्यापार कर विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	9
व्यापार कर अधिनियम–1948 के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों के लिये आस्थगन योजना पर समीक्षा	2.2	9
अनियमित कर–मुक्ति	2.3	15
आवर्तन (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना	2.4	16
ब्याज का अनारोपण	2.5	16
प्रवेश कर का अनारोपण	2.6	17
त्रुटिपूर्ण आरोपण/वसूली	2.7	18
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.8	19
अध्याय–3 : राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	23
राज्य आबकारी विभाग में करों के निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण पर समीक्षा	3.2	23
दुकानों का व्यवस्थापन न किये जाने से राजस्व क्षति	3.3	32
अध्याय–4 : माल एवं यात्री वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	33
अतिरिक्त कर का निर्धारण न किया जाना	4.2	33
अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण किये जाने से राजस्व क्षति	4.3	34
बिना परमिट के संचालित वाहनों से अतिरिक्त कर की वसूली न किया जाना	4.4	34
अध्याय–5 : अन्य कर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	35
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
पट्टा अवधि की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.2	35
विलेख के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प ड्यूटी का कम आरोपण	5.3	36
सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प ड्यूटी का कम आरोपण	5.4	36

भू–राजस्व		
पट्टा धारक से नजूल भूमि का वापस न लिया जाना	5.5	37
मनोरंजन कर विभाग		
अप्रयुक्त अनुरक्षण प्रभार का वसूल न किया जाना	5.6	37
विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	5.7	38
अध्याय– 6 : अन्य विभागीय प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	39
लोक निर्माण विभाग		
स्टोन बोल्डर व मिट्टी के संग्रह पर रायल्टी की वसूली न किया जाना	6.2	39
वित्त विभाग		
गारन्टी शुल्क का कम आरोपण	6.3	40
वन विभाग		
परिपक्व/अति परिपक्व साल वृक्षों का पातन न होने से राजस्व का अवरूद्ध रहना	6.4	40

प्राक्कथन

31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों, एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा–16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणाम, व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू–राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 2005–06 तथा पूर्ववर्ती वर्षो में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 21 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर के अनारोपण/ कम आरोपण आदि से संबंधित 906.66 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित है:

I. सामान्य

- वर्ष 2005–06 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व दोनो कर (18,857.90 करोड़ रूपये) तथा करेतर (2,930.32 करोड़ रूपये) विगत वर्ष के दौरान 18,412.90 करोड़ रूपये के विपरीत 21,788.22 करोड़ रूपये रहा ।

(प्रस्तर 1.1.1)

- वर्ष 2005–06 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 1,159.59 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण राजस्व हानि आदि के 1,817 मामलों का पता चला। वर्ष 2005–06 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 3.55 करोड़ रूपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण एवं कम आरोपण आदि के 55 मामले स्वीकार किये, जिसमें से सन्निहित 37.20 लाख रूपये के 11 मामले अगस्त 2006 तक वसूल किये गये।

(प्रस्तर 1.7)

- 4,225.60 करोड़ रूपये की धनराशि के 31 दिसम्बर 2005 तक निर्गत 7,832 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 19,257 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे जून 2006 तक लम्बित थे ।

(प्रस्तर 1.8)

II. व्यापार कर

व्यापार कर अधिनियम–1948 के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों के लिये आस्थगन योजना पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

- धारा–4'क' के अन्तर्गत कर मुक्ति की सुविधा का पूर्णतः या अंशतः उपभोग करने वाले 8 निर्माताओं ने अनियमित स्वीकृत किये गये 44.95 करोड़ रूपये की धनराशि के आस्थगन (अधिस्थगन) के विरूद्ध 25.19 करोड़ रूपये का उपभोग किया।

(प्रस्तर 2.2.6.1)

- छः मामलों में धारा–4'क' के अन्तर्गत कर मुक्ति के लिए अपात्र निर्माताओं के द्वारा 15.37 करोड़ रूपये की धनराशि का अनियमित आस्थगन (अधिस्थगन) प्राप्त किया गया।

(प्रस्तर 2.2.6.2, 2.2.6.4 तथा 2.2.6.5)

- आधारभूत उत्पादन प्राप्त न कर सकने वाले दो निर्माताओं ने 32.59 करोड़ रूपये की धनराशि का अनियमित आस्थगन (अधिस्थगन) प्राप्त किया।

(प्रस्तर 2.2.6.3)

- नौ निर्माताओं ने 12.69 करोड़ रूपये की धनराशि के केन्द्रीय बिक्री कर का आस्थगन प्राप्त किया जो कि अग्राह्य था।

(प्रस्तर 2.2.6.6)

- 1.52 करोड़ रूपये के ब्याज के साथ 2.08 करोड़ रूपये की आस्थगन (अधिस्थगन) धनराशि वसूल नहीं की गई।

(प्रस्तर 2.2.6.7, 2.2.7.1 तथा 2.2.7.2)

- समाधान योजना के तहत अनियमित कर मुक्ति के कारण 6.75 करोड़ रूपये कर का कम आरोपण ।

(प्रस्तर 2.3)

- 2.54 करोड़ रूपये ब्याज का अनारोपण ।

(प्रस्तर 2.5)

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत 1.13 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड का अनारोपण ।

(प्रस्तर 2.8.1)

III. राज्य आबकारी

"राज्य आबकारी विभाग में करों के निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण" पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :

- विभाग की असफलता के कारण एक आसवनी द्वारा अल्कोहल के विधिविरूद्ध उत्पादन के लिए 381.78 करोड़ रूपए की धनराशि के अर्थदण्ड का अनारोपण।

(प्रस्तर 3.2.7.1)

- शीरे से अल्कोहल के मानक से कम उत्पादन के कारण 16.03 करोड़ रूपये के राजस्व की क्षति ।

(प्रस्तर 3.2.7.2)

- आबकारी अभिकर के अन्तरीय दर की बिना वसूली किये पिछले वर्ष के स्टाक को अगले वर्ष में बिक्री की अनुमति दिये जाने के कारण 6.10 करोड़ रूपये की हानि।

(प्रस्तर 3.2.10)

IV. माल एवं यात्री वाहनों पर कर

- अतिरिक्त कर का गलत दर लगाये जाने से 1.36 करोड़ रूपये कर का कम आरोपण।

(प्रस्तर 4.3)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

- पट्टा अवधि के समाप्त होने पर शासन द्वारा 342.26 करोड़ रूपये की नजूल भूमि का वापस न लिया जाना ।

(प्रस्तर 5.5)

- चार करोड़ रूपये के अप्रयुक्त अनुरक्षण प्रभार का वसूल न किया जाना।

(प्रस्तर 5.6.1)

VI. अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

- 12 करोड़ रूपये गारन्टी शुल्क का कम आरोपण।

(प्रस्तर 6.3)

- परिपक्व/अतिपरिपक्व साल वृक्षों का पातन न होने से 88.03 करोड़ रूपये राजस्व का अवरूद्ध रहना।

(प्रस्तर 6.4)

अध्याय–1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी ऑकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
• कर राजस्व	10,388.82	12,783.81	13,601.23	15,692.61	18,857.90
• करेतर राजस्व	1,787.07	1,913.49	2,282.08	2,720.29	2,930.32
योग	**12,175.89**	**14,697.30**	**15,883.31**	**18,412.90**	**21,788.22**
II. भारत सरकार से प्राप्तियॉं					
• विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग	10,130.49	10,814.87	13,272.97	15,055.26	[1]18,203.13
• सहायक अनुदान	3,291.53	2,309.02	2481.69	4,149.28	5,357.80
योग	**13,422.02**	**13,123.89**	**15,754.66**	**19,204.54**	**23,560.93**
III. राज्य की कुल प्राप्तियॉं (I+II)	**25,597.91**	**27,821.19**	**31,637.97**	**37,617.44**	**45,349.15**
IV. I से **III** की प्रतिशतता	***48***	***53***	***50***	***49***	***48***

1.1.2 वर्ष 2005-06 के लिये कर राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती चार वर्षों के ऑकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2004–05 के सन्दर्भ में 2005–06 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2004–05 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	व्यापार कर	5,052.40	6,850.93	7,684.13	8.888.31	11,284.67	(+) 2396.36	(+) 26.96
2.	राज्य आबकारी	1,961.38	2,555.05	2,472.37	2,686.19	3,088.54	(+) 402.35	(+) 14.98
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1,429.29	2,078.68	2,296.06	2,682.36	2,996.78	(+) 314.42	(+) 11.72
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	76.65	77.33	80.21	81.74	105.19	(+) 23.45	(+) 28.69
5.	वाहनों पर कर	503.04	618.84	676.96	775.84	965.20	(+) 189.36	(+) 24.41
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	9.22	145.29	174.72	354.36	182.26	(-) 172.10	(-) 48.57
7.	भू–राजस्व	72.93	64.23	117.67	102.44	108.69	(+) 6.25	(+) 6.10
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	152.34	100.02	92.78	112.28	114.76	(+) 2.48	(+) 2.21
9.	अन्य (होटल प्राप्तियॉं एवं निगमित कर आदि)	3.67	3.70	6.33	9.09	11.81	(+) 2.72	(+) 29.92
	योग	**10,388.82**	**12,783.81**	**13,601.23**	**15,692.61**	**18,857.90**	**(+) 3165.29**	**(+) 20.17**

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2005–06 के वित्त लेखा में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11' देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में लेखा शीर्षक कर राजस्व के अन्तर्गत–0020– निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032– धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044–सेवा कर, 0045 सामग्री व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

1.1.3 वर्ष 2005–06 के लिये करेतर राजस्व का विवरण पूर्ववर्ती चार वर्षों के ऑकड़ों सहित नीचे दिये गया है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2004–05 के सन्दर्भ में 2005–06 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2004–05 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. विविध सामान्य सेवाएँ	39.44	48.28	41.80	58.02	75.02	(+) 17.00	(+) 29.30
2. ब्याज प्राप्तियाँ	543.49	515.38	658.09	597.93	457.94	(-) 139.99	(-) 23.41
3. वानिकी एवं वन्य जीव	68.31	86.27	60.96	107.42	161.98	(+) 5456	(+) 50.79
4. बृहत एवं मध्यम सिंचाई	115.76	90.12	136.10	176.60	53.78	(-) 122.82	(-) 69.55
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	137.66	255.35	227.68	581.02	934.81	(+) 353.79	(+) 60.89
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	131.47	110.95	116.91	128.23	99.96	(-) 28.27	(-) 22.05
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	190.19	262.54	251.05	292.01	354.60	(+) 62.59	(+) 21.43
8. पुलिस	67.38	95.40	75.91	97.58	96.66	(-) 0.92	(-) 0.94
9. क्रॉप हस्बेन्ड्री	75.77	25.58	188.73	18.60	40.84	(+) 22.24	(+) 119.57
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	36.33	19.59	33.65	17.25	14.23	(-) 3.02	(-) 17.51
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	31.14	41.44	42.69	42.03	39.75	(-) 2.28	(-) 5.42
12. लघु सिंचाई	17.73	12.11	18.53	12.53	21.21	(+) 8.68	(+) 69.27
13. सड़क एवं सेतु	16.27	17.97	41.79	31.67	55.36	(+) 23.69	(+) 74.80
14. लोक निर्माण	14.66	25.26	19.92	31.44	36.09	(+) 4.65	(+) 14.79
15. सहकारिता	5.23	6.18	7.57	8.15	6.27	(-) 1.88	(-) 23.07
16. अन्य	296.24	301.07	360.70	519.81	481.82	(-) 37.99	(-) 7.31
योग	**1, 787.07**	**1,913.49**	**2,282.08**	**2,720.29**	**2,930.32**	**(+) 210.03**	**(+) 7.72**

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 2005–06 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य मुख्य शीर्ष में भिन्नता नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
कर राजस्व				
1. व्यापार कर	10,524.00	11,284.67	(+) 760.67	(+) 7.23
2. राज्य आबकारी	3,200.00	3,088.54	(-) 111.46	(-) 3.48
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2,928.00	2,996.78	(+) 68.78	(+) 2.35
4. माल एवं यात्रियों पर कर	653.00	105.19	(-) 547.81	(-) 83.89
5. वाहनों पर कर	588.74	965.20	(+) 376.46	(+) 63.94
6. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर	117.46	114.76	(-) 2.70	(-) 2.30
7. विद्युत पर कर एवं शुल्क	194.99	182.26	(-) 12.73	(-) 6.53
8. भू–राजस्व	76.50	108.69	(+) 32.19	(+) 42.08
करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवाएँ	81.10	75.02	(-) 6.08	(-) 7.50
2. ब्याज प्राप्तियाँ	657.60	457.94	(-) 199.66	(-) 30.36
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	79.10	161.98	(+) 82.88	(+) 104.78
4. बृहत् एवं मध्यम सिंचाई	32.86	53.78	(+) 20.92	(+) 63.66
5 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	63.70	934.81	(+) 871.11	(+) 1367.52
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	320.10	354.60	(+) 34.50	(+) 10.78

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष, 2003–04 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह[1] पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 2004–05 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2004–05 के लिए अखिल भारतीय औसत
व्यापार कर	2003-04	7,684.13	197.13	2.60	
	2004-05	8,888.31	178.53	2.00	0.95
	2005-06	11,284.67	193.51	1.71	
माल एवं यात्री वाहनों पर कर	2003-04	757.17	12.71	1.70	
	2004-05	857.58	12.99	1.60	2.74
	2005-06	1,070.39	31.27	2.92	
राज्य आबकारी	2003-04	2,472.37	28.51	1.20	
	2004-05	2,686.19	29.66	1.10	3.34
	2005-06	3,088.54	33.39	1.08	
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	2003-04	2,296.06	50.59	2.20	
	2004-05	2,682.36	58.84	2.20	3.44
	2005-06	2,996.78	52.55	1.75	

1.4 कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 2001–02 से 2005–06[1] तक के लिये वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु नियत मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नियत मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2001-02	4,28,833	5,24,561	9,53,394	4,85,771	4,67,623	50.95
2002-03	4,67,623	5,29,858	9,97,481	5,21,969	4,75,512	52.33
2003-04	4,75,512	4,83,428	9,58,940	4,76,263	4,82,677	49.67
2004-05	4,82,677	5,83,693	10,66,370	5,38,168	5,28,202	50.47
2005-06	5,30,722	5,33,349	10,64,071	5,22,962	5,41,109	49.15

1.5 प्रति करदाता व्यापार कर संग्रह

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान करदाता की संख्या, व्यापार कर राजस्व और प्रति करदाता राजस्व, जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, नीचे सारिणी में दिया गया है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	करदाता की संख्या (लाख में)	व्यापार कर राजस्व	राजस्व प्रति करदाता
2001-02	3.85	6,15,855	1.59
2002-03	4.07	7,10,393	1.74
2003-04	4.52	7,65,135	1.69
2004-05	4.76	8,88,831	1.87
2005-06	4.77	11,80,533	2.47

[1] विभाग द्वारा सूचित आंकड़े वित्तीय लेखे के आंकड़ों एवं विगत वर्षों के सूचित आंकड़ों से भिन्न है। भिन्नता के कारण के लिए यद्यपि विभाग से पूछा गया है लेकिन उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2006 को राजस्व के बकाये की स्थिति, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था निम्न प्रकार थी:

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये	
1	2	3	4	6
1	व्यापार कर	8,456.33	7,143.69	8,456.33 करोड़ रूपये में से 710.13 करोड़ रूपये के लिए मॉग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । न्यायालयों/सरकार द्वारा 930.07 करोड़, रूपये की राशि स्थगित कर दी गयी थी। सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों पर 299.42 करोड़ रूपये की वसूली बकाया है। 1,064.35 करोड़ रूपये की मॉग के अपलिखित होने की सम्भावना थी। 49.92 करोड़ रूपये परिवहन पर बकाया है। 745.98 करोड़ रूपये का वसूली प्रमाणपत्र दूसरे राज्यों को भेज दिया गया। शेंष 4,656.46 करोड़ रूपये का बकाया विभाग के अधीन है।
2	मनोरंजन कर	11.97	उपलब्ध नहीं	11.97 करोड़ रूपये में से 5.93 करोड़ रूपये के लिए मॉग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था । न्यायालयों/सरकार द्वारा 4.44 करोड़, रूपये की राशि स्थगित कर दी गयी थी। शेष धनराशि 1.60 करोड़, रूपये के लिये नोटिस जारी कर दिया गया है।
3	राज्य आबकारी	55.86	उपलब्ध नहीं	55.86 करोड़ रूपये में से 9.46 करोड़ रूपये के लिए मॉग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 12.62 करोड़ रूपये न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। 1.94 करोड़ रूपये की मांग को बट्टे खाते में डाला जाना है। 0.23 करोड़ रूपये की वसूली योग्य राशि दण्डक ब्याज से सम्बन्धित है। अवशेष बकाया 31.61 करोड़ रूपये का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
4.	माल एवं यात्री वाहनों पर कर मार्ग कर माल कर यात्री कर	 5.31 5.77 [illegible] योग:–23.70	उपलब्ध नहीं	23.70 करोड़ रूपये की मॉग में से 1.06 करोड़ रूपये और 0.27 करोड़ रूपये मॉग क्रमशः न्यायिक और प्रशासनिक आदेशों के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। शेष 22.37 करोड़ रूपये की मॉग वसूली के लिए लम्बित थी।
5.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	288.88	उपलब्ध नहीं	288.88 करोड़ रूपये मे से 61.55 करोड़ रूपये के लिये मॉग भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लिया गया था। 16.52 करोड़ रूपये की मॉग अपील कोर्ट द्वारा अवमुक्त कर दिया गया था। 145.83 करोड़ रूपये की मॉग विभिन्न न्यायालयो द्वारा स्थगित कर दिया गया था शेष 64.98 करोड़ रूपये की मॉग वसूली के लिए लम्बित थी।
6.	भू–राजस्व	13.40	उपलब्ध नहीं	13.40 करोड़ रूपये मॉग मे से 1.69 करोड़ रूपये शासन द्वारा स्थगित कर दिया गया था शेष 11.71 करोड़ रूपये की मॉग वसूली हेतु लम्बित थी।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, माल एवं यात्री वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, मनोरंजन कर, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, गृह एवं शहरी विकास, शिक्षा, खान एवं खनिज विभाग, पुलिस, वित्त विभाग आदि के अभिलेखों की नमूना जॉच से 1,817 मामलों में 1,159.59 करोड़ रूपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व क्षति के मामले प्रकाश में आये। वर्ष

2005–06 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 55 मामलों में 3.55 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये जिसमें से 11 मामलों में 37.20 लाख रूपये मार्च 2006 तक वसूल किये गये।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित दो समीक्षाएं सहित 21 प्रस्तर हैं जिसमें 906.66 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है। विभाग/सरकार ने 55 मामलों में 3.55 करोड़ रूपये की सन्निहित धनराशि को अगस्त 2006 में हुई वार्ता में स्वीकार कर लिया है। जिसमें से 11 मामलों में 37.20 लाख रूपये वसूल हो चुके हैं। शेष मामलों मे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2006)।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पाई गई कमियों, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 2005 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून 2006 तक विभागों द्वारा लम्बित था, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनरूपी आँकड़ें नीचे दिये गये हैं:

क्र. सं.		2004	2005	2006
1.	जून तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	8,412	8,567	7,832
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	17,506	17,394	19,257
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	4,296.86	4,102.33	4,225.60

जून 2006 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित है
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	873	1562	1502.01	1991-92 से 2005-06
2	व्यापार कर	1490	6947	1699.37	1984-85 से 2005-06
3	राज्य आबकारी	593	1089	352.13	1984-85 से 2005-06
4	भू–राजस्व	942	1324	43.52	1987-88 से 2005-06
5	माल एवं यात्री वाहनों पर कर	1183	2598	91.15	1984-85 से 2005-06
6	लोक निर्माण	214	765	29.85	1985-86 से 2005-06
7	सिंचाई	393	667	87.01	1984-85 से 2005-06
8	गन्ने के कय पर कर	131	147	59.37	1985-86 से 2005-06
9	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1050	2855	256.26	1984-85 से 2005-06
10	कृषि	211	313	24.97	1985-86 से 2005-06
11	विद्युत शुल्क	320	365	41.96	1985-86 से 2005-06
12	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	124	187	19.81	1991-92 से 2005-06
13	सहकारिता	105	113	5.97	1985-86 से 2005-06
14	मनोरंजन कर	141	183	6.25	1986-87 से 2005-06
15.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	51	128	1.46	2002-03 से 2005-06
16.	जेल	11	14	4.51	2002-03 से 2005-06
	योग	**7,832**	**19,257**	**4225.60**	

यह शासन के संज्ञान में सितम्बर 2006 में लाया गया; अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों को निस्तारित करने के लिए शासन द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2006)।

1.9 लोक लेखा समिति द्वारा विचार विमर्श हेतु अनिस्तारित प्रस्तर/समीक्षा

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा विचार विमर्श हेतु 31 जुलाई 2006 तक लम्बित लेखा परीक्षा प्रस्तरों/समीक्षाओं का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	व्यापार कर	राज्य आबकारी	माल एवं यात्री वाहनों पर कर	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	भू-राजस्व	अन्य राजस्व प्राप्तियाँ	वन प्राप्तियाँ	अन्य विभागीय प्राप्तियाँ
1984-85	10	Nil	09	09	02	Nil	11	09
1985-86	11	07	16	04	05	07	11	14
1986-87	12	04	23	04	03	05	11	14
1987-88	14	10	17	05	05	06	08	Nil
1988-89	19	11	09	04	04	05	07	16
1989-90	12	10	09	02	06	04	11	20
1990-91	17	06	07	02	04	05	11	16
1991-92	13	06	05	04	02	05	06	11
1992-93	13	09	11	03	02	05	09	14
1993-94	15	07	12	03	02	04	06	13
1994-95	09	07	12	03	02	शून्य	शून्य	शून्य
1995-96	05	03	05	01	शून्य	05	04	03
1996-97	13	06	08	03	01	04	02	05
1997-98	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	04	शून्य	04
1998-99	03	शून्य	शून्य	05	शून्य	02	03	शून्य
1999-00	08	01	08	04	04	शून्य	शून्य	शून्य
2000-01	05	04	01	01	01	02	04	04
2001-02	14	शून्य	05	02	01	04	01	03
2002-03	13	02	03	03	01	02	शून्य	01
2003-04	12	02	03	05	01	शून्य	शून्य	02
2004-05	08	02	03	01	01	शून्य	शून्य	07
Total	**226**	**97**	**166**	**68**	**47**	**69**	**105**	**156**
कुल योग								**934**

1.10 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का उत्तरवर्ती – सारांश

विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गये प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदन में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं, चाहे वह (लो.ले.स.) द्वारा परीक्षण के लिए लिया गया हो या न लिया गया हो; पर विभाग द्वारा स्वतः कदम उठाने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किया। 2000–01 से 2004–2005 की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जो पहले ही राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, में सम्मलित प्रस्तरों/समीक्षाओं से सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणी निर्धारित अवधि तीन माह बीत जाने के बाद भी जुलाई 2006 तक कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2000–01 से अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :

प्रतिवेदन वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मलित प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या जिस पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है	प्रस्तरों / समीक्षाओं की संख्या जिस पर विभाग द्वारा व्याख्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित है
2000-01	17-09-2003	32	29	03
2001-02	27-07-2004	34	25	09
2002-03	08-11-2004	26	11	15
2003-04	20-07-2005	25	10	15
2004-05	11-03-2006	22	12	10
	योग	**139**	**87**	**52**

मार्च 2001, मार्च 2002, मार्च 2003 मार्च 2004, और मार्च 2005 में समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के पटल पर सितम्बर 2003, जुलाई 2004,नवम्बर 2004 जुलाई 2005 और मार्च 2006 में रखा गया। यद्यपि वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की व्याख्यात्मक टिप्पणियों को तैयार करने की तीन महीने की समय सीमा समाप्त हो गयी, लेकिन विभाग ने अब तक 52 प्रस्तरों की प्रतिकारी व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किया ।

1.11 स्वीकृत मामलों में राजस्व की वसूली

वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान विभाग और शासन द्वारा स्वीकार किये गये लेखा परीक्षा आपत्तियॉ जिसमें 310.63 करोड़ रूपये सन्निहित है, में से केवल 19.16 करोड़ रूपये 31 अगस्त 2006 तक वसूल किए गए जिसका विवरण निम्नलिखित है :

(करोड रूपये)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूली गयी धनराशि
2000-01	948.06	15.37	0.54
2001-02	987.71	50.95	17.27
2002-03	1,546.48	109.91	0.05
2003-04	473.20	104.01	0.12
2004-05	449.74	30.39	1.18
योग	**4,405.19**	**310.63**	**19.16**

अध्याय–2
व्यापार कर विभाग

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जॉच में कर के अवनिर्धारण, अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण अथवा कम आरोपण तथा कर की अनियमित छूट इत्यादि के 1,169 मामले पाये गये जिसमें 161.29 करोड़ रूपये की राशि विहित थी, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:–

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण अथवा कम आरोपण	603	9.77
2.	अनियमित छूट	178	19.75
3.	अतिरिक्त कर/प्रवेश कर का अनारोपण	68	5.20
4.	कर की गलत दर	88	2.54
5.	माल का गलत वर्गीकरण	63	20.87
6.	टर्न ओवर पर कर लगने से छूट जाना	24	0.16
7.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताए	21	0.13
8.	गणना की त्रुटि	2	0.03
9.	कर का अवनिर्धारण	15	0.05
10.	**"व्यापार कर अधिनियम,1948 के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आस्थगन योजना"** पर समीक्षा	1	89.04
11.	अन्य अनियमितताएं	106	13.75
	योग	**1,169**	**161.29**

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 47 मामलों में निहित 1.45 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें छः मामलों में निहित 11.36 लाख रूपये की वसूली की गई।

कुछ निदर्शी मामले तथा **"व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आस्थगन योजना"** पर एक समीक्षा जिसमें 101.85 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं :

2.2 व्यापार कर अधिनियम–1948 के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आस्थगन योजना पर समीक्षा

मुख्य अंश

- धारा–4'क' के अन्तर्गत कर मुक्ति की सुविधा का पूर्णतः या अंशतः उपभोग करने वाले आठ निर्माताओं ने अनियमित स्वीकृत किये गये 44.95 करोड़ रूपये की धनराशि के आस्थगन (अधिस्थगन) के विरूद्ध 25.19 करोड़ रूपये का उपभोग किया।

(प्रस्तर 2.2.6.1)

- छः मामलों में धारा–4'क' के अन्तर्गत कर मुक्ति के लिए अपात्र निर्माताओं के द्वारा 15.37 करोड़ रूपये की धनराशि का अनियमित आस्थगन (अधिस्थगन) प्राप्त किया गया।

(प्रस्तर 2.2.6.2, 2.2.6.4 तथा 2.2.6.5)

- आधारभूत उत्पादन प्राप्त न कर सकने वाले दो निर्माताओं ने 32.59 करोड़ रूपये की धनराशि का अनियमित आस्थगन (अधिस्थगन) प्राप्त किया।

(प्रस्तर 2.2.6.3)

- 9 निर्माताओं ने 12.69 करोड़ रूपये की धनराशि के केन्द्रीय बिक्री कर का आस्थगन प्राप्त किया जो कि अग्राह्य था।

(प्रस्तर 2.2.6.6)

- 1.52 करोड़ रूपये के ब्याज के साथ 2.08 करोड़ रूपये की आस्थगन (अधिस्थगन) धनराशि वसूल नहीं की गई।

(प्रस्तर 2.2.6.7, 2.2.7.1 तथा 2.2.7.2)

संस्तुतियां

शासन विचार कर सकती है कि:

- आस्थगन (अधिस्थगन) केवल पात्र इकाइयों को ही अनुमन्य किये जायें;
- आस्थगन (अधिस्थगन) की सुविधा के0 बि0 क0 अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य न की जाये;
- आन्तरिक नियन्त्रण को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आस्थगन केवल ऐसी इकाइयों को अनुमन्य किया जाये जो आस्थगन (अधिस्थगन) तथा पात्रता प्रमाणपत्र की शर्तें पूरी करती हों।

प्रस्तावना

2.2.1 राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और नये औद्योगिक विनियोग को आकर्षित करने के उद्देश्य से कमिश्नर व्यापार कर, निर्माता के आवेदन पर, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत विहित किया गया है, ऐसे निर्माता के द्वारा स्वनिर्मित वस्तुओं की बिक्री पर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कर मुक्ति के बदले में, स्वीकृत कर के भुगतान के लिये आस्थगन (अधिस्थगन) स्वीकृत कर सकता है। नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आस्थगन योजना उद्योग विभाग द्वारा निर्गत पात्रता प्रमाणपत्र (पा0प्र0) के आधार पर उपलब्ध है। कमिश्नर व्यापार कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता प्रमाणपत्र को निरस्त या संशोधित कर सकता है, यदि उनके विचार से, पात्रता प्रमाणपत्र का दुरूपयोग या गलत निर्गत किया गया है। आस्थगन योजना के अन्तर्गत एक पात्र इकाई निर्मित उत्पादों की बिक्री पर उद्गृहीत कर को वसूल करेगी और एक नियत अवधि के लिए अपने पास रखेगी और इसके बाद ऐसे रोके गये कर को इकाई द्वारा निर्धारित किश्तों में सरकारी खाते में जमा करना होगा। योजना के अनुसार सरकारी कार्यान्वयन ऐजेन्सी (गवर्नमेण्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी) पिकअप[1]/यू.पी. एफ.सी.[2] स्वीकृत कर के समतुल्य निर्माता के पक्ष में ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत कर सकती है और इसे पुस्तक अन्तरण (बुक ट्रान्सफर) के द्वारा व्यापार कर विभाग के खाते में औपचारिकतायें पूरी करने पर भुगतान कर सकती है।

[1]. प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश।

[2]. उत्तर प्रदेश फाइनेंसियल कार्पोरेशन।

संगठनात्मक ढॉचा

2.2.2 व्यापार कर विभाग का सम्पूर्ण नियन्त्रण कमिश्नर व्यापार कर में निहित है। आस्थगन योजनायें (अधिस्थगन) कमिश्नर व्यापार कर द्वारा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) व्यापार कर और डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) व्यापार कर के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.2.3 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों के लिये आस्थगन योजना (अधिस्थगन) पर एक समीक्षा जुलाई 2005 से मार्च, 2006 की अवधि में सम्पन्न की गयी थी जिसमें वर्ष 2001–02 से 2005–06 के अभिलेखों की नमूना जॉच यह सुनिश्चित करने के लिये की गयी कि क्या:

- अधिनियम/नियमावली और कर के भुगतान के आस्थगन (अधिस्थगन) के लिए आस्थगन योजना में निर्दिष्ट शर्तों का व्यापार कर विभाग द्वारा पालन किया गया है।
- देयकों की वसूली का नियमित रूप से अनुश्रवण किया गया।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.4 36 रेंजों में से 13[1] (आस्थगन वादों की संख्या के आधार पर) जो कि सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं, के अभिलेखों की नमूना जॉच की गई। सम्पूर्ण राज्य में आस्थगन के 157[2] वादों में से 71 वाद जॉच किये गये। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग द्वारा निर्गत किये गये पात्रता प्रमाणपत्र से सम्बन्धित अभिलेखों, कमिश्नर व्यापार कर द्वारा निर्गत किये गये आस्थगन आदेशों और इकाइयों को पिकअप/यू0पी0एफ0सी0 द्वारा स्वीकृत ब्याज रहित ऋणों की भी नमूना जॉच की गई।

लेखा परीक्षा उपलब्धियॉ

2.2.5 13 रेन्जो के अभिलेखों की जॉच पर 89.04 करोड़ रूपये के आस्थगन (अधिस्थगन) को अनियमित रूप से प्रदान करने तथा देय धनराशि की वसूली का उचित रूप से देखभाल न किये जाने का पता चला जिनकी अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गयी है :

2.2.6 आस्थगन (अधिस्थगन) की अनियमित स्वीकृति

2.2.6.1 उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत कमिश्नर निर्माता के आवेदन पर कर मुक्ति के बदले में, ऐसे निर्माता के द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय स्वीकृत कर के निर्धारित अवधि के उपरान्त भुगतान के लिए आस्थगन (अधिस्थगन) स्वीकृत कर सकता है। नियमतः ऐसे निर्माता जिसने कर से छूट या कर की दर में कमी, चाहे पूर्णतः या अंशतः सुविधा का उपयोग कर लिया है, आस्थगन (अधिस्थगन) स्वीकृति के लिए हकदार नहीं होंगे।

छः व्यापार कर कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 8 व्यापारियों के वादों में जनवरी 1995 से मार्च 2010 की अवधि में 33.66 करोड़ रूपये की कर की छूट प्राप्त करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र निर्गत किये गये थे। इसके विरूद्ध व्यापारियों ने मार्च 2003 तक 10.35 करोड़ रूपये की कर की छूट का उपभोग किया। इन व्यापारियों को जनवरी 1995 से मार्च 2010 की अवधि के लिए 44.95 करोड़ रूपये का आस्थगन (अधिस्थगन) भी स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 25.19 करोड़

[1]. आगरा (2 रेंज), इलाहाबाद, बरेली (2 रेंज), गाजियाबाद (2 रेंज), कानपुर (3 रेंज), लखनऊ (2 रेंज) तथा नोएडा।

[2]. जैसा कि पिकअप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा सूची उपलब्ध करायी गयी।

[3]. डि.क.(क.नि.)–I, व्या.कर इलाहाबाद, डि.क.(क.नि.)–Iए, व्या.कर गाजियाबाद, डि.क.(क.नि.)–XI, व्या.कर गाजियाबाद, डि.क.(क.नि.), व्या.कर गौतम बुद्ध नगर, डि.क.(क.नि.)–IV तथा, डि.क.(क.नि.)–IX, व्या.कर नोएडा।

रूपये का उपभोग किया गया। चूँकि व्यापारियों ने कर मुक्ति की सुविधा का अंशतः उपभोग किया, अतः 44.95 करोड़ रूपये के कर के आस्थगन (अधिस्थगन) का स्वीकृत किया जाना अनियमित था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2006 में बताया कि मामले की जॉच की जायेगी।

2.2.6.2 उ0प्र0 व्या0 क0 अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन जारी की गई विज्ञप्तियों के अन्तर्गत निर्माताओं को कर मुक्ति/कर की दर में कमी या आस्थगन (अधिस्थगन) केवल तभी अनुमन्य होगा जब उनके द्वारा निर्मित वस्तुयें पूर्व में निर्मित वस्तुओं से भिन्न प्रकृति की हों।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) IV व VIII व्यापार कर गाजियाबाद के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि तीन[1] व्यापारियों को 26 मई 1993 से 25 मार्च, 2006 की अवधि के मध्य रोलिंग प्रोडक्ट्स (आई.पी.ई.बीम तथा एच.ई.बीम्स) तथा मिल टेण्डम (शुगर केन मिल मशीनरी पाट्‌र्स) के निर्माण के लिए 9.54 करोड़ रूपये के कर के आस्थगन (अधिस्थगन) के उपभोग हेतु पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किये गये थे।यद्यपि यह देखा गया कि ये इकाइयां पहले से ही रोलिंग प्रोडक्ट्स तथा शुगर केन मशीनरी पार्ट्स का निर्माण कर रही थीं। इस प्रकार इनके द्वारा विविधीकरण के अन्तर्गत किसी नये उत्पाद का उत्पादन नहीं किया गया था। इकाइयों ने फरवरी 2004 तक 6.59 करोड़ रूपये के कर का अधिस्थगन उपभोग किया जो कि व्यापारियों को दिया गया अदेय लाभ था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2006 में बताया कि मामले की जॉच की जायेगी।

2.2.6.3 कर मुक्ति, कर की दर में कमी या अधिस्थगन का लाभ विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को किसी वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा निर्धारित आधारभूत उत्पादन की सीमा से अधिक उत्पादित वस्तुओं के आवर्त्त (टर्न ओवर) पर उपलब्ध होगा। कमिश्नर द्वारा दिनांक 27 फरवरी 1993 और 6 फरवरी 2003 को यह स्पष्ट किया गया था कि आधारभूत उत्पादन अभिनिश्चित करने के लिए कुल उत्पादन में माल का स्टाक ट्रान्सफर/कन्साइनमेन्ट का आवर्त्त सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि यह प्रान्तीय/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री नहीं है।

डि0क0(क0नि0)–। व्या0क0, इलाहाबाद तथा डि0क0 (क0नि0)XII, व्या0क0 आगरा के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि दो[2] निर्माताओं को विस्तारीकरण की योजना के अन्तर्गत कर मुक्ति के बदले में मार्च, 1998 से फरवरी, 2011 तक की अवधि के लिए 1,646.67 करोड़ रूपये की धनराशि का आस्थगन (अधिस्थगन) स्वीकृत किया गया था। यद्यपि दोनों वादों में स्टाक ट्रान्सफर का आवर्त्त कम करने के बाद वार्षिक आधारभूत उत्पादन प्राप्त नहीं किया गया, फिर भी आस्थगन (अधिस्थगन) अनुमन्य किया गया। व्यापारियों ने मार्च 2006 तक 32.59 करोड़ रूपये का आस्थगन (अधिस्थगन) का उपभोग किया जो कि अनियमित था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2006 में बताया कि मामले की जॉच की जायेगी।

2.2.6.4 उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत उस दिनांक को जिस दिनांक से इकाई कर मुक्ति के लिए अपात्र हो जाती है, आस्थगन समाप्त हो जायेगा, तथा स्वीकृत रूप से देय कर की सम्पूर्ण धनराशि, देय हो जायेगी। देय धनराशि तीन माह के अन्दर एकमुश्त भुगतान करनी होगी। इकाई जिसने विस्तारीकरण प्राप्त किया

[1] (i) मे0 एच.वी.आर.एलायज एण्ड स्टील लि0 बुलन्दशहर रोड़, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर (ii) मे0 उत्तम सूक्रोटेक लि0, गाजियाबाद (iii) मे0 उत्तम इण्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग प्रा.लि., गाजियाबाद।

[2] मे0 इफको लि0 फूलपुर इकाई, इलाहाबाद तथा मे0 एशियन पेण्ट्स लि0 आगरा।

है, तथा उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी देय के भुगतान में व्युत्क्रमी है, कर मुक्ति/कर की दर में कमी तथा पा0प्र0 के लिए अपात्र है।

डि0क0 (क0नि0)–IV, व्या0क0, गाजियाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि दो इकाइयों[1] को विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत नवम्बर 1995 से फरवरी 2004 की अवधि के लिए कर मुक्ति के बदले में 56.45 करोड़ रूपये के कर का आस्थगन (अधिस्थगन) स्वीकृत किया गया था। यद्यपि अभिलेखों के अनुवीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इन इकाइयों के विरूद्ध 1993–94 से 1995–96 की अवधि से सम्बन्धित कर के रूप में 1.64 करोड़ रूपये की धनराशि बकाया थी। कर के भुगतान में व्युत्क्रम के कारण इकाइयां 56.45 करोड़ रूपये की धनराशि के आस्थगन की हकदार नहीं थीं। इसके बावजूद भी इकाइयों ने फरवरी, 2006 तक 6 करोड़ रूपये के कर की धनराशि का आस्थगन (अधिस्थगन) प्राप्त किया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2006 में बताया कि मामला जॉच के अन्तर्गत है।

2.2.6.5 उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम प्रावधानित करता है कि यदि एक निर्माता जो कर मुक्ति या कर में कमी का उपभोग कर रहा है, किसी अन्य रीति से उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता हो जाता है, ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता उत्तराधिकार की तिथि से 60 दिन के भीतर कर की दर में कमी/कर मुक्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन कर सकता है। ऐसे मामले में उत्तराधिकारी निर्माता पूर्ववर्ती निर्माता को स्वीकृत कर मुक्ति की असमाप्त अवधि के भाग हेतु कर मुक्ति/कर की दर में कमी का हकदार है।

डि0क0 (क0नि0) व्या0 क0, गौतमबुद्धनगर के कार्यालय के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक इकाई को 3 मार्च 1999 से 2 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए 25.26 करोड़ रूपये के कर के आस्थगन का लाभ प्राप्त करने के लिये पा0प्र0 स्वीकृत किया गया था। इस इकाई का 29 सितम्बर 2000 को अन्य इकाई में विलय हो गया। पूर्ववर्ती इकाई ने विलय की तिथि तक 1.23 करोड़ रूपये के आस्थगन (अधिस्थगन) का उपभोग किया। अभिलेखों के अनुवीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि उत्तराधिकारी इकाई ने नये पा0प्र0 के लिए आवेदन नहीं किया फिर भी मूल इकाई को निर्गत किये गये पा0प्र0 के आधार पर कर के आस्थगन (अधिस्थगन) का अनवरत उपभोग किया। फलस्वरूप दिसम्बर 2003 तक 2.78 करोड़ रूपये के आस्थगन (अधिस्थगन) का अनियमित उपभोग किया।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2006 में बताया कि पूर्ववर्ती इकाई की असमाप्त अवधि के लिए पा0प्र0 धारा–4क (2–ख) के अन्तर्गत संशोधित कर दिया गया है।

2.2.6.6 उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम, नियम एवं विज्ञप्ति के अन्तर्गत कमिश्नर कर मुक्ति/ कर में कमी के बदले में निर्माता द्वारा प्रान्त के भीतर की गई वस्तुओं की बिक्री पर स्वीकृत रूप से देय प्रान्तीय व्यापार कर के भुगतान के लिये आस्थगन (अधिस्थगन) स्वीकृत कर सकता है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार कर मुक्ति या न्यूनतम दर से करारोपण के लिए सक्षम है, किन्तु के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत आस्थगन (अधिस्थगन) की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

छः व्यापार कर मंडलों[2] (कार्यालयों) की लेखा परीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि नौ व्यापारियों को अक्टूबर 1994 से अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए कर का आस्थगन (अधिस्थगन) स्वीकृत किया गया था। विभाग ने प्रान्तीय अधिनियम की धारा–4क के

---

[1] मे0 श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि0, गाजियाबाद तथा मे0 उत्तम इण्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग प्रा.लि., गाजियाबाद।

[2] डि.क.(क.नि.)–V, व्या.कर गाजियाबाद, डि.क.(क.नि.)–X, व्या.कर कानपुर, डि.क.(क.नि.)–II,IV&IVक व्या.कर नोयडा, डि.क.(क.नि.), व्या.कर गौतम बुद्ध नगर नोएडा

अन्तर्गत जारी पा0प्र0 के आधार पर कर के आस्थगन (अधिस्थगन) के आदेश निर्गत किये थे, न कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत, कर निर्धारण अधिकारियों ने मार्च 2002 एवं फरवरी 2006 के मध्य वर्ष 1999–2000 से 2002–03 के वर्षों के कर निर्धारण आदेश पारित करते समय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत 12.69 करोड़ रुपये का आस्थगन (अधिस्थगन) अनुमन्य किया, जो कि अनियमित था।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2006 में कहा कि मामले की जॉच की जायेगी।

2.2.6.7 उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, नियम एवं विज्ञप्ति के अन्तर्गत एक निर्माता जिसे कर के भुगतान का आस्थगन (अधिस्थगन) प्रदान किया गया है, कम से कम कर की उतनी धनराशि के समतुल्य जितना कि उसे आस्थगन प्रदान किया गया है, राज्य सरकार के पक्ष में अपनी सम्पत्ति पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार सृजित करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो आस्थगन की सुविधा तत्काल बन्द हो जायेगी एवं इस शर्त के उल्लघंन करने की तिथि के तीन माह के भीतर उपभोग की गयी कर की समस्त आस्थागनित धनराशि एकमुश्त देय हो जायेगी। उक्त के अतिरिक्त आस्थगित अवधि एवं उसके बाद के लिए दो प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज भी प्रभार्य होगा।

डि0 क0 (क0नि0)– II, व्या0 क0, लखनऊ के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक निर्माता के वाद में 2 जून 1999 से 1 जून 2007 की अवधि के लिए कर से छूट के बदले में 90.88 लाख रूपये कर के भुगतान का आस्थगन (अधिस्थगन) प्रदान किया गया, जिसका वर्ष 2002–03 मे पूर्णतः उपभोग कर लिया गया। कर निर्धारण मार्च 2005 में किया गया। निर्माता ने अपनी सम्पत्ति पर प्रथम या द्वितीय प्रभार राज्य सरकार के पक्ष में सृजित नहीं किया अतः 90.88 लाख रूपये की आस्थगित कर की राशि तीन माह के भीतर एक मुश्त देय थी। इसके अलावा निर्माता नवम्बर 1999 से मार्च 2006 तक 1.08 करोड़ रूपये के ब्याज के भुगतान का भी दायी था।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने अगस्त 2006 में आश्वस्त किया कि मामले में त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

देयों की समुचित पैरवी/वसूली न किया जाना

2.2.7 उ0प्र0 व्या0क0 अधि0 एवं विज्ञप्ति के अन्तर्गत कमिश्नर व्यापार कर, निर्माता के प्रार्थना पत्र पर ऐसे निर्माता द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री पर देय स्वीकृत कर के भुगतान के लिए आस्थगन (अधिस्थगन) स्वीकृत कर सकता है। आस्थगन अवधि के दौरान इकाई कर को वसूल करके एक निर्दिष्ट अवधि तक इसे अपने पास रखेगी एवं उसके पश्चात ऐसे रोके गये कर को इकाई के द्वारा सरकार के खाते में निर्धारित किश्तों में जमा करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहती है तो आस्थगन (अधिस्थगन) की सुविधा तत्काल बन्द हो जायेगी एवं इस शर्त के उल्लघंन करने की तिथि से तीन माह के भीतर आस्थगित की गई कर की समस्त धनराशि एकमुश्त देय होगी। इसके अतिरिक्त आस्थगित अवधि एवं उसके बाद के लिए दो *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज भी प्रभार्य होगा। योजना के अन्तर्गत अधिस्थगन की सुविधा लेने वाला निर्माता पिकअप एवं यू.पी.एफ.सी. से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकता है जिसे कि सरकार के खाते में पुस्तक अन्तरण के माध्यम से समायोजित किया जाता है। ऐसी अवस्था में, निर्माता पिकअप/यू.पी.एफ.सी. को धनराशि वापस करेगा।

2.2.7.1 डि0 क0 (क0नि0)–II, व्या0 क0, गाजियाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक व्यापारी को दिनांक 10 मार्च 1997 से दिनांक 9 मार्च 2005 की अवधि के लिए कर के भुगतान का आस्थगन स्वीकृत किया गया था। निर्माता ने 2003–04 की अवधि तक स्वनिर्मित वस्तुओं की बिक्री पर 80.64 लाख रूपये कर वसूल करके अपने पास रखा। यू.पी.एफ.सी. ने निर्माता को व्यापार कर विभाग के खाते में पुस्तक हस्तांतरण के माध्यम से दिसम्बर 1999 तक 40.25 लाख

रूपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया। तत्पश्चात न तो यू.पी.एफ.सी. ने ही व्यापारी के पक्ष में शेष 40.39 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया और न ही व्यापारी ने विभाग को आस्थगन (अधिस्थगन) का ही भुगतान किया। इसके अतिरिक्त जनवरी 2000 से मार्च 2006 की अवधि के लिए 44.04 लाख रूपये का ब्याज भी वसूली योग्य था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने अगस्त 2006 में बताया कि बकाया धनराशि की वसूली के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

2.2.7.2 डि0 क0 (क0नि0)– VII, व्या0 क0, गाजियाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक निर्माता जो कि 31 मार्च, 1999 से कर मुक्ति का लाभ ले रहा था, ने जनवरी 2002 में कमिश्नर व्यापार कर को कर के आस्थगन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका निस्तारण लेखा परीक्षा की तिथि (जुलाई 2005) तक नहीं किया गया था। निर्माता ने 1 अप्रैल 1999 से 31 दिसम्बर 2001 की अवधि में 76.59 लाख रूपये का कर वसूल करके अपने पास रखा, न तो निर्माता के द्वारा आवेदित आस्थगन ही स्वीकृत किया गया और न ही उपरोक्त अवधि में देय कर की राशि 76.59 लाख रूपये वसूल की जा सकी।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

आन्तरिक नियंत्रण

2.2.8 नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आस्थगन योजना (अधिस्थगन) का कार्यान्वयन कमिश्नर व्यापार कर द्वारा ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) की सहायता से, नियंत्रित किया जाता है। वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि क्या आस्थगन योजना कार्यान्वयन में अधिनियम/नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है।

यद्यपि कि विभाग में कुछ सीमा तक नियंत्रण तंत्र (कमिश्नर, ज्वाइण्ट कमिश्नर एवं डिप्टी कमिश्नर व्यापार कर के द्वारा अधिनियम/नियमों/विज्ञप्तियों के प्रावधानों का कार्यान्वयन कराना एवं विभागीय परिपत्रों एवं निर्देशों का अनुपालन लागू कराना) मौजूद था, किन्तु यह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा था जो कि एक कमजोर एवं अक्षम आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का द्योतक था।

अभिस्वीकृति

2.2.9 उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों के लिए आस्थगन योजना पर तैयार समीक्षा के परिणाम से जून 2006 में राज्य सरकार को एक लेखा परीक्षा समीक्षा समिति राज्य प्राप्तियॉ (ले.प.स.स/रा.प्रा.) की बैठक में उपस्थित होने के अनुरोध के साथ अवगत कराया गया ताकि समीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पूर्व विभाग/शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके। ले.प.स.स/रा.प्रा. की बैठक 8 अगस्त 2006 को विशेष सचिव (वित्त/कर एवं निबन्धन) व व्यापार कर विभाग के प्रतिनिधियों के साथ की गयी। सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये दृष्टिकोंण को समीक्षा के निष्पादन के दौरान ध्यान में रखा गया।

2.3 अनियमित कर–मुक्ति

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा–7 घ के अर्न्तगत कर निर्धारण अधिकारी ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो किसी व्यापारी द्वारा, ऐसे माल या माल के वर्ग में और ऐसी अवधि के लिये जिस पर करार हो जाए, देय हो, या तो एक मुश्त या उसके विक्रय धन पर सहमत दर से समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये करार कर सकता है। आयुक्त के परिपत्र दिनांक 4 अप्रैल 2002 के अनुसार समाधान योजना की सुविधा वनस्पति घी के निर्माण हेतु पा.प्र. धारक नई औद्योगिक इकाइयॉ जो कि कर मुक्ति या कर में कमी की सुविधा प्राप्त कर रहे हों, को अनुमन्य नहीं है।

डि0 क0 (क0नि0)–XVII, व्या0 क0, कानपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि (दिसम्बर 2005) नई औद्योगिक इकाई के अन्तर्गत पा. प्र. धारक एक व्यापारी ने वर्ष 2002–03 में 200.52 करोड़ रूपये मूल्य के वनस्पति घी की बिक्री की तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे अनियमित रूप से समाधान योजना की सुविधा अनुमन्य की गयी जबकि इस प्रकार के वनस्पति घी के निर्माताओं को अधिनियम के अर्न्तगत समाधान योजना की सुविधा अनुमन्य नहीं थी। तद्नुसार 10.03 करोड़ रूपये का कर आरोपणीय था किन्तु आरोपित नहीं हुआ तथा व्यापारी ने मात्र 3.28 करोड़ रूपये जमा किया। जिसके परिणामस्वरूप 6.75 करोड़ रूपये का कर कम आरोपित हुआ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को सूचित किया गया था (मार्च 2006) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.4 आवर्तन (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत टर्नओवर से तात्पर्य उस सकल धनराशि से है जो अधिनियम के अन्तर्गत नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी द्वारा बिक्री के रूप में माल की आपूर्ति या वितरण किये जाने या उसकी बिक्री किये जाने से प्राप्त होता है।

नवम्बर 2003 से जुलाई 2005 के मध्य तीन व्यापार कर कार्यालयों की सम्प्रेक्षा से यह ज्ञात हुआ कि जुलाई 2002 एवं सितम्बर 2004 के मध्य छः व्याापारियों के वर्ष 2000–01 से 2002–03 तक के कर निर्धारण का निस्तारण करते समय 85.92 लाख रूपये कर योग्य टर्नओवर पर कर आरोपित होने से छूट गया। जिसके परिणामस्वरूप 6.19 लाख रूपये का कर आरोपित होने से रह गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रूपये में)

क0 स0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण का वर्ष / माह	वस्तु का नाम	छूटा हुआ टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (*प्रतिशत में*)	अनारोपित कर	टिप्पणी
1.	डि0कमि0 (क0नि0)–**VIII** व्या0 कर, आगरा	4	2002–03 जून–2004 से नवम्बर–04	आटोमोबाइल पार्ट्स	27.23	12	3.26	टर्नओवर में वारन्टी क्लेम को, शामिल नहीं किया गया
2.	असि0क0 खण्ड–**V** व्या0 कर, आगरा	1	2000–01 जुलाई–2002	खाली बोतलें, पुराने फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	21.84	5	1.09	आयातित खाली बोतलो को टर्नओवर में गलती से कर प्रदत्त वस्तु मान लिया गया
3.	असि0क0 खण्ड–**VIII** व्या0 कर, गाजियाबाद	1	2002–03 जुलाई–04	खाली बोतलें	36.85	5	1.84	खाली बोतलों की बिक्री को टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया
	योग	6			85.92		6.19	

नवम्बर 2003 से जुलाई 2005 के मध्य इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी आगरा ने अवगत कराया कि नवम्बर 2004 में एक मामले में 1.09 लाख रूपये की माँग सृजित की जा चुकी है। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2006)।

उक्त मामलों को विभाग एवं शासन को मई, 2004 से सितम्बर, 2004 के मध्य सूचित किया गया था। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2006)।

2.5 ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी जिस पर कर अदा करने का दायित्व है, से अपेक्षा की जाती है कि जिस माह में कर देय है उसके अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व कर की धनराशि राजकोष में जमा करें। व्यापारी द्वारा स्वीकृत देय कर का भुगतान यदि निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता तो अदत्त भुगतान को जमा करने की तिथि तक दो *प्रतिशत* प्रति माह की दर से ब्याज आकर्षित होता है।

सितम्बर 2004 से अक्टूबर 2005 के मध्य में चार व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण अभिलेखों की सम्प्रेक्षा से यह विदित हुआ कि चार व्यापारियों के मामले में, जिनका कर निर्धारण सितम्बर 2002 से मार्च, 2005 के मध्य में कर निर्धारण वर्ष 1987–88 से 2002–03 के लिये हुआ था, स्वीकृत कर 2.52 करोड़ रूपये विलम्ब से जमा किया गया था। विलम्ब का विस्तार 305 दिनों से 5,780 दिनों तक का था। 2.54 करोड़ रूपये का ब्याज आरोपणीय था किन्तु विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:

(लाख रूपये में)

क0सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष / माह	स्वीकृत कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि जिसके लिये ब्याज आरोपित नहीं किया गया	ब्याज की धनराशि
1.	डिप्टी कमि0 (क0नि0)–XVII व्यापार कर, कानपुर	1	1999–2000 सितम्बर–02	11.34	1,644 दिनों से 1,879 दिनों तक	9.13
2.	डिप्टी कमि0 (क0नि0)–XII व्यापार कर, लखनऊ	1	2001–02 दिसम्बर–03	5.86	1,178 दिन	4.57
3.	डिप्टी कमि0 (क0नि0)–II व्यापार कर, बरेली	1	1987–88 से 2002–03 दिसम्बर–04	225.79	305 दिनों से 5,780 दिनों तक	235.03
4.	डिप्टी कमि0 (क0नि0) व्यापार कर, गौतम बुद्ध नगर	1	2002–03 मार्च–05	8.54	970 दिन	5.46
	योग	4		251.53		254.19

डि0 क0 (क0नि0)–II व्या0 क0, बरेली के मामले में यद्यपि ब्याज की धनराशि के वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये थे किन्तु उस की माँग उस तिथि से नहीं की गयी जिस तिथि से वह देय था। उक्त धनराशि की गणना उस अवधि के लिये की गयी है जो कि वसूली प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं थी।

सितम्बर 2005 से अक्टूबर 2005 के मध्य इसे इंगित किये जाने पर कानपुर के मामले में कर निर्धारण अधिकारी ने जून 2006 में अवगत कराया कि 4.57 लाख रूपये की माँग जनवरी, 2006 में सृजित की जा चुकी हैं। अन्य मामलों में उत्तर की प्रतीक्षा थी (जुलाई 2006)।

नवम्बर 2004 से दिसम्बर 2005 के मध्य मामलों को विभाग एवं शासन को सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2006)।

2.6 प्रवेश कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश में माल पर प्रवेश कर अधिनियम 2001 के अन्तर्गत (जो कि 1 नवम्बर 1999 से प्रभावी हुआ) रूपये 10 लाख एवं उससे अधिक मूल्य के मशीनरी एवं उनके पुर्जो पर 1 नवम्बर 1999 से दो *प्रतिशत* तथा 1 नवम्बर 2001 से कागज पर उसके मूल्य के चार *प्रतिशत* की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।

जून 2004 और जून 2005 के मध्य तीन व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2000–01 से 2002–03 तक की अवधि में तीन मामलों में मार्च 2004, फरवरी 2005 एवं दिसम्बर 2005 में अंतिम कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी 4.29 करोड़ रूपये मूल्य के मशीनरी एवं उसके पुर्जो तथा कागज की खरीद पर 8.84 लाख रूपये का प्रवेश कर आरोपित करने में असफल रहे जिसका विवरण निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क0 सं0	इकाई का नाम	इकाइयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष / कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	प्रवेश कर की दर (प्रतिशत में)	प्रवेश कर
1.	व्या0क0अ0 खण्ड–V वाराणसी	1	2001–02 दिसम्बर–05	मशीनरी एवं उसके पुर्जे	340.96	2	6.82
2.	अ0क0, खण्ड–II व्या0क0,खुर्जा	1	2000–01 मार्च–2004	मशीनरी	74.91	2	1.50
3.	डि0क0 (क0नि0)–I व्या0क0, कानपुर	1	2002–03 फरवरी–05	कागज	13.09	4	0.52
	योग	3			428.96		8.84

प्रकरण विभाग एवं शासन को अगस्त 2004 एवं अगस्त 2005 के मध्य सूचित किये गये; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.7 त्रुटिपूर्ण आरोपण/वसूली

2.7.1 त्रुटिपूर्ण कर की दर के प्रयोग के कारण कम कर का आरोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार कर आरोपणीय है। जो वस्तुएँ निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है उन पर दस *प्रतिशत* की दर से कर आरोपणीय है।

मई 2003 से जुलाई 2005 की अवधि में 16 व्यापार कर कार्यालयों[1] के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा से यह ज्ञात हुआ कि मार्च 2001 से फरवरी 2005 की अवधि में 18 व्यापारियों की वर्ष 1991–92 से 2002–03 तक की अवधि का कर निर्धारित करते समय कर निर्धारण अधिकारियों ने 12.06 करोड़ रूपये के मूल्य के वस्तुओं पर त्रुटिपूर्ण दर से कर आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप 55.48 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ।

मई 2003 से जुलाई 2005 के मध्य में इसको इंगित किये जाने पर मार्च 2004 से जुलाई 2005 के मध्य में सात[2] कर निर्धारण अधिकारियों ने यह अवगत कराया कि सात व्यापारियों के मामलों में कर निर्धारण आदेशों को संशोधित कर दिया गया है तथा 9.41 लाख रूपये की माँग सृजित की जा चुकी है। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2006)।

मामले विभाग एवं शासन को जनवरी 2004 से दिसम्बर 2005 के मध्य सूचित किये गये थे; उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 2006)।

2.7.2 माल के गलत वर्गीकरण के कारण जमानत/अर्थदण्ड का कम वसूल किया जाना

व्यापार कर कमिश्नर द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2001 को दिये गये निर्देशों सपठित परिपत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2003 के अनुसार यदि पंजीकृत व्यापारी द्वारा माल का परिवहन उचित दस्तावेजों के बिना किया जाना पाया जाता है तो जमानत की धनराशि, माल का प्रान्त के अन्दर परिवहन किये जाने की स्थिति में उक्त माल पर देय कर का दो गुना और यदि माल प्रान्त बाहर से आयात किया जा रहा है तो तीन गुना या माल के मूल्य का 40 *प्रतिशत* इसमें से जो भी अधिक हो की व्यापारी से वसूल की जानी चाहिए।

तीन सचल दल इकाइयों[3] एवं तीन सहायता केन्द्रों[4] के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 की अवधि में 14 मामलों में पंजीकृत व्यापारियों से जमानत/अर्थदण्ड त्रुटिपूर्ण दर से लगाये जाने के कारण 3.85 लाख रूपये कम वसूल हुए।

मामले विभाग एवं शासन को जून 2006 में सूचित किये गये थे, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 2006)।

---

1 (1)डि0क0(क0नि0)–X,व्या0क0,गाजियाबाद, (2)अ0क0(क0नि0)–खण्ड,XII,व्या0क0,लखनऊ, (3)डि0क0(क0नि0)–X, व्या0क0,चन्दौसी, (4)डि0क0(क0नि0)–I, व्या0क0,मुजफ्फरनगर, (5)डि0क0(क0नि0)–VIII, व्या0क0, लखनऊ, (6)डि0क0(क0नि0)–IX,व्या0क0, लखनऊ, (7)डि0क0(क0नि0)–X, व्या0क0,फैजाबाद, (8)अ0क0(क0नि0)–खण्ड,I, व्या0क0,सुल्तानपुर, (9)डि0क0(क0नि0)–VIII, व्या0क0,आगरा, (10)डि0क0(क0नि0)–XVIII, व्या0क0,कानपुर, (11)डि0क0(क0नि0)–VIII, व्या0क0,गाजियाबाद, (12)डि0क0(क0नि0)–XI, व्या0क0,आगरा, (13)अ0क0(क0नि0)–खण्ड,III, व्या0क0,गाजियाबाद, (14)अ0क0(क0नि0)–खण्डXI, व्या0क0, लखनऊ, (15)डि0क0(क0नि0)–I, व्या0क0,गोरखपुर, (16)डि0क0(क0नि0)–X, व्या0क0,वाराणसी।

2 डि0क0(क0नि0) व्यापार कर, फैजाबाद, डि0क0(क0नि0)–VIII व्यापार कर, गाजियाबाद, डि0क0(क0नि0)–X व्यापार कर, गाजियाबाद, डि0क0(क0नि0)–XVIII व्यापार कर, कानपुर, डि0क0(क0नि0)–VIII व्यापार कर, लखनऊ, डि0क0(क0नि0)–IX व्यापार कर, लखनऊ, एवं डि0क0(क0नि0)–I व्यापार कर, मुजफ्फरनगर।

3 सचलदल–II, सचलदल–III, कानपुर, सचलदल–I, गाजियाबाद।

4 सहायता केन्द्र मोहन नगर, विजय नगर एवं कोटवन।

2.8 अर्थदण्ड का अनारोपण

2.8.1 के0 बि0 क0 अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से कोई ऐसा माल कर की रियायती दर पर प्रपत्र 'सी' के आधार पर यह मिथ्या उद्‌घोषणा करते हुए कय करता है कि उक्त वस्तु के0 बि0 क0 अधिनियम के अन्तर्गत उसको जारी किये गये पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित है या प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कय किये गये माल का प्रयोग उसको जारी किये गये पंजीयन प्रमाणपत्र में उल्लिखित प्रयोजन से भिन्न प्रकार से करता है, तो व्यापारी पर अभियोजन लगाया जा सकता है। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी यदि ठीक समझे तो अभियोजन के बदले वह ऐसी वस्तु की बिक्री पर देय कर का डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

मई 2003 से सितम्बर 2005 के मध्य 20 व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच से यह विदित हुआ कि 21 व्यापारियों जिनका कर निर्धारण वर्ष 1991–92 से 2002–03 के लिए मई 2002 से जून 2005 के मध्य किया गया, ने घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरूद्ध 6.80 करोड़ रूपये का ऐसा माल कय किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं थे। अतः व्यापारी 1.13 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड के दायी थे जैसा कि परिशिष्ट–'क' में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर निर्धारण अधिकारियों ने मार्च 2004 तथा सितम्बर 2005 के मध्य सूचित किया कि 12 मामलों में 43.46 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित थे (जुलाई 2006)।

नवम्बर 2003 से दिसम्बर 2005 के मध्य मामलों को विभाग एवं शासन को सूचित कर दिया गया था। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2006)।

2.8.2 के0 बि0 क0 अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा व्यापारी जो अधिनियम के अन्तर्गत कर का दायी है प्रान्त बाहर से माल कय करने तथा अर्न्तप्रान्तीय बिकी से सम्बन्धित व्यापार करने हेतु पंजीयन प्राप्त करेगा। यदि व्यापारी बिना पंजीयन प्राप्त किये माल की खरीद/बिकी करता है तो उसे दण्ड स्वरूप साधारण कारावास जोकि छः माह तक बढ़ायी जा सकती है या अर्थदण्ड की सजा या दोनो मिलेगा। निरन्तर उल्लंघन की स्थिति में 50 रूपये प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

जून 2004 में डि0क0 (क0नि0)– IV व्यापार कर, गाजियाबाद एवं डि0क0 (क0नि0)– IX व्यापार कर, नोयडा के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि दो व्यापारियों ने वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में बिना पंजीयन प्राप्त किये ही अपने माल की बिकी प्रान्त बाहर की। अग्रेतर यह देखा गया कि एक व्यापारी ने 1 अप्रैल, 1979 तथा दूसरे ने 1 अप्रैल, 1996 से माल की बिकी की। यद्यपि उनके कर निर्धारण वादों का प्रत्येक वर्ष निर्धारण होता रहा लेकिन कर निर्धारण अधिकारी व्यापारियों के अपंजीकृत होने के तथ्य से अवगत होने में असफल रहे। व्यापारी 6.22 लाख रूपये के अर्थदण्ड का भुगतान करने के दायी थे जिसे विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

इसको इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने गाजियाबाद के मामले में 4.73 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।

मामले विभाग एवं शासन को जुलाई 2004 एवं अगस्त 2004 के मध्य सूचित किये गये थे। उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2006)।

2.8.3 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत संकर्म संविदा के अनुसरण में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के फलस्वरूप किसी दायित्व के निर्वहन हेतु भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति संविदाकार को भुगतान के समय ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि के चार प्रतिशत के बराबर कटौती करेगा। कटौती करने अथवा ऐसी कटौती की गयी धनराशि को कटौती किये जाने वाले माह के अनुवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व राजकोष

में जमा किये जाने में असफल रहने की दशा में कर निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो ऐसी काटी गई धनराशि के दो गुने से अधिक नहीं होगी।

जून 2004 एवं अक्टूबर 2005 के मध्य छः व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि आठ व्यापारियों ने संविदाकारो से वर्ष 2000–01 से 2002–03 के मध्य 30.01 लाख रूपये कर की कटौती की परन्तु निर्धारित समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि दो दिन से 665 दिनो तक की थी। अगस्त 2003 एवं मार्च 2005 के मध्य अन्तिम कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी 60.02 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहे। विवरण निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष / कर निर्धारण माह	कर की धनराशि / जमा की तिथि	विलम्ब की अवधि	अर्थदण्ड की धनराशि
1.	अ0क0, खण्ड– II व्या0क0,गोण्डा	1	2001–02 / मार्च–04	3.76 / 24.6.02	2 दिन से 202 दिन	7.52
2.	अ0क0, खण्ड– I व्या0क0, देवरिया	1	2001–02 / अगस्त–03	4.50 / ..	30 दिन से 90 दिन	9.00
3.	अ0क0,खण्ड– XII व्या0क0,लखनऊ	1	2002–03 / फरवरी–05	7.64 / 31.3.03	2 दिन से 206 दिन	15.28
4.	अ0क0, खण्ड– II व्या0क0,खुर्जा	3	2002–03 / मार्च–05	6.94 / 29.5.03	27 दिन से 57 दिन	13.88
			2002–03 / फरवरी–05	0.26 / 12.5.03	4 दिन से 34 दिन	0.52
			2001–02 / मार्च–05	0.29 / 31.3.03	425 दिन से 665 दिन	0.58
5.	डि0क0 (क0नि0)– IV व्या0क0,गाजियाबाद	1	2000–01 एवं 2001–02 / फरवरी–03 एवं मार्च–04	5.48 / 23.10.02	49 दिन से 173 दिन	10.96
6.	डि0क0 (क0नि0)– II व्या0क0, अलीगढ़	1	2002–03 / दिसम्बर–04	1.14 / 23.10.02	23 दिन	2.28
योग		8		30.01		60.02

इसको इंगित किये जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2004 एवं दिसम्बर 2005 के मध्य गाजियाबाद एवं गोण्डा के मामले में 8.89 लाख रूपये अर्थदण्ड आरोपित कर दिया था। अन्य मामलों में उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 2006)।

जुलाई 2004 एवं दिसम्बर 2005 के मध्य मामले शासन को सूचित किये गये थे। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.8.4 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी यदि इस बात से आश्वस्त है कि किसी व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जान बूझकर अपने टर्नओवर का विवरण त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है तो वह उस व्यापारी को उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त इस प्रकार से बचाये गये कर का न्यूनतम 50 *प्रतिशत* किन्तु अधिकतम 200 *प्रतिशत* तक अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

मई 2003 से अगस्त 2005 के मध्य 26 व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच से यह ज्ञात हुआ कि मार्च 1999 एवं अगस्त 2005 के मध्य कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कुल 30 व्यापारियों के मामलों मे से 25 मामलों में कर निर्धारण तथा पाँच मामलों में पुनः कर निर्धारण करते समय यह पाया गया कि व्यापारियों ने वर्ष 1995–96 से 2004–05 की अवधि में 24.82 करोड़ रूपये का टर्नओवर छिपाया था किन्तु वे उन पर 1.45 करोड़ रूपये का कर आरोपित करते समय 72.60 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहे जैसा कि परिशिष्ट–'ख' मे दर्शाया गया है।

जनवरी 2004 और दिसम्बर 2005 के मध्य इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारियों ने सूचित किया कि 19 मामलों में 52.26 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है। अन्य मामलों मे उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 2006)।

जनवरी 2004 से दिसम्बर 2005 के मध्य मामलों को विभाग एवं शासन को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2006)।

2.8.5 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान हो जाय कि किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति ने बिना युक्ति–युक्त कारण के अपने विक्रय–धन का विवरण पत्र पस्तुत नहीं किया है अथवा नियत समय के भीतर और निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विवरण पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या विवरण पत्र के साथ इस अधिनियम के अधीन देय कर जमा नहीं किया है तो वह व्यापारी को देय कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10 *प्रतिशत* किन्तु अधिक से अधिक 25 *प्रतिशत* यदि देय कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का 50 *प्रतिशत* यदि देय कर दस हजार रूपये से अधिक हो, तक का अर्थदण्ड अदा करने के लिये निर्देश दे सकता है।

जनवरी 2003 एवं जनवरी 2005 के मध्य चार व्यापार कर कार्यालयों[1] की सम्प्रेक्षा से यह ज्ञात हुआ कि चार व्यापारियों जिनका वर्ष 1999–2000 से 2001–02 हेतु जून 2002 एवं अक्टूबर 2003 में कर निर्धारण किया गया था, ने स्वीकृति कर 84 लाख रूपये नियत समय के अन्दर जमा नहीं किया था। विलम्ब की अवधि तीन से 159 दिनों की थी। स्वीकृत कर विलम्ब से जमा होने के कारण 13.76 लाख रूपये का अर्थदण्ड आकर्षित होता था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने आरोपित नहीं किया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा फरवरी 2003 एवं दिसम्बर 2004 के मध्य इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने तीन मामलों में जुलाई 2004 एवं नवम्बर 2005 के मध्य 4.48 लाख रूपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया था, अन्य मामलों में उत्तर की प्रतीक्षा है (जुलाई 2006)।

अप्रैल 2004 एवं मार्च 2006 के मध्य मामले विभाग एवं शासन को सूचित किये गये थे, उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2006)।

2.8.6 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम सपठित विज्ञप्ति दिनांक 21 मई 1994 के अन्तर्गत किसी निर्माता को किसी ऐसे माल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं पैकिंग सामग्री इत्यादि को देय कर अदा किये बिना खरीदने के लिये अनुमति प्रदान की गयी है जिसके लिये उसे निर्माण करने, राज्य के अन्दर बिक्री करने या अर्न्तप्रान्तीय बिक्री करने या भारत के बाहर निर्यात करने के लिये अधिकृत किया गया हो। जारी किये गये मान्यता प्रमाण पत्र[2] में उल्लिखित उद्देश्य से इतर यदि कच्चे माल का अन्यथा निस्तारण किया जाता है, तो सम्बन्धित व्यापारी ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा जो उसके द्वारा कर में प्राप्त राहत की धनराशि से कम न होगी परन्तु ऐसी राशि प्राप्त राहत के तीन गुने से अधिक न होगी।

नवम्बर 2002 से जून 2005 के मध्य तीन[3] व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि वर्ष 1994–95 से 2002–03 की अवधि के दौरान माल निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक तीन व्यापारियों ने कर/रियायती दर पर कर का भुगतान किये बिना कच्चे माल को कय किया तथा 12.22 लाख रूपये की छूट प्राप्त की। कच्चे माल का अन्यथा निस्तारण/उसी रूप एवं अवस्था में बेचा गया एवं

[1] डि0 क0 (क0नि0)–II, व्या0 क0 इलाहाबाद, डि0 क0 (क0नि0)–I, व्या0 क0 गाजियाबाद, डि0 क0 (क0नि0)–II, व्या0 क0 गाजियाबाद एवं अ0 क0 व्या0 क0 गुलावठी।

[2] **मान्यता प्रमाण पत्र** :– एक प्रमाण पत्र जो विभाग द्वारा निर्माता को दिया जाता है जिसमें वस्तु का नाम जिसे निर्मित किया जाना है एवं उसके कच्चे माल का उल्लेख रहता है ।

[3] व्या0 क0 अधि0 खण्ड– XVII कानपुर; डि0 क0 (क0नि0)– IV, व्या0 क0 कानपुर एवं डि0 क0 (क0नि0)–I, व्या0 क0 कानपुर।

ऐसी वस्तुओं के निर्माण में उनका प्रयोग नहीं किया गया जिसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे, अतः व्यापारी न्यूनतम अर्थदण्ड 12.22 लाख रूपये भुगतान करने के दायी थे जिसको आरोपित नहीं किया गया था।

इसको इंगित किये जाने के बाद कर निर्धारण अधिकारी ने एक मामले में अक्टूबर 2004 में अधिकतम अर्थदण्ड 9.69 लाख रूपये आरोपित किया। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2006)।

मामले विभाग एवं शासन को मार्च 2003. एवं अगस्त 2005 में सूचित किये गये उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2006)।

अध्याय–3
राज्य आबकारी विभाग

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–2006 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 470.67 करोड़ रूपये की धनराशि के शुल्क एवं फीस के अनारोपण/कम आरोपण के 126 मामले पाये गये जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:–

(करोड़ रूपये में)

क0 सं0	श्रेणियॉ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	ब्याज का अनारोपण	12	0.45
2.	अनुज्ञापन शुल्क का न वसूल किया जाना	13	1.21
3.	शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	21	3.88
4.	एम0 जी0 क्यू0 का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	20	24.29
5.	अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण छीजन	03	0.27
6.	देशी मदिरा की एम0 जी0 क्यू0 का उठान न करने से आबकारी अभिकर की क्षति	11	7.14
7.	**''राज्य आबकारी विभाग में करों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण''** पर समीक्षा	01	406.40
8.	अन्य अनियमितताऍ	45	27.03
	योग	**126**	**470.67**

वर्ष 2005–06 के दौरान विभाग द्वारा चार मामलों में कम निर्धारण आदि से सम्बन्धित 24.07 लाख रूपये स्वीकार किये जो कि वसूल किये जा चुके हैं।

कुछ निदर्शी मामले तथा ''**राज्य आबकारी विभाग में कर के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण**'' विषय पर एक समीक्षा जिनमें 408.15 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं :

3.2 राज्य आबकारी विभाग में करों के निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण पर समीक्षा

मुख्य अंश

- विभाग की असफलता के कारण एक आसवनी द्वारा अल्कोहल के विधिविरूद्ध उत्पादन के लिए 381.78 करोड़ रूपए की धनराशि के अर्थदण्ड का अनारोपण।

  (प्रस्तर 3.2.7.1)

- शीरे से अल्कोहल के मानक से कम उत्पादन के कारण 16.03 करोड़ रूपये के राजस्व की क्षति।

  (प्रस्तर 3.2.7.2)

- आबकारी अभिकर के अन्तरीय दर की वसूली किये बिना पिछले वर्ष के स्टाक को आगामी वर्ष में बिक्री की अनुमति दिये जाने के कारण 6.10 करोड़ रूपये की हानि।

  (प्रस्तर 3.2.10)

3.2.1 संस्तुतियॉ

शासन विचार कर सकता है :

- आसवनियों के अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन के अनुश्रवण पर,
- निर्धारित मानक के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन हो,
- आबकारी वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व पी0डी0–2[1] अनुज्ञापन नवीनीकृत किया जाना तथा
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ हो।

3.2.2 प्रस्तावना

उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0आ0अधि0) तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी शुल्क, अन्य मादक द्रव्यों के मामलों जैसे चरस, भांग तथा गांजा इत्यादि में फीस आरोपित करने एवं उसके समपहरण किए जाने की शक्ति प्रदान करती है। ये नियम शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों की अवैध खरीद बिक्री, अल्कोहल के आयात–निर्यात तथा उसके विधिविरूद्ध उत्पादन पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण करते हुये राजस्व के रिसाव पर उचित नियंत्रण रखने हेतु बनाये गए हैं जिसके लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को विकसित किया गया है।

आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः शीरे से किया जाता है जो कि चीनी के निर्माण की प्रक्रिया में सह–उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की मदिरा जो देशी मदिरा (सी0एल0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0एम0एफ0एल0) जैसे व्हिस्की, ब्राण्डी, रम तथा जिन के नाम से जानी जाती है, का भी निर्माण अल्कोहल से किया जाता है। आसवनियों में शराब तथा अल्कोहल के उत्पादन पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का बड़ा भाग होता है। आसवनियों से मानव उपभोग की मदिरा या तो बन्ध पत्र के अधीन बिना आबकारी फीस के अथवा निर्धारित दर पर आबकारी शुल्क के अग्रिम भुगतान पर निर्गत की जाती है। निर्यात शुल्क से पृथक, अनुज्ञापन शुल्क भी आबकारी राजस्व का भाग है। जिला अधिकारी (जि0अ0) जिला आबकारी अधिकारी (जि0आ0अ0) की सहायता से जिले में शराब की दुकानों के व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी है।

3.2.3 संगठनात्मक ढॉचा

अभिकर, शुल्क तथा अन्य करों के संग्रह की समस्त प्रक्रिया आयुक्त आबकारी द्वारा संचालित तथा अनुश्रवणित की जाती है जिसके सहायतार्थ मुख्यालय पर दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, तीन संयुक्त आबकारी आयुक्त, (सं0आ0आ0) दस उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) तथा छः सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) हैं। प्रभावी प्रशासन के उद्देश्य से राज्य को चार[2] परिक्षेत्रों एवं 17[3] प्रभागों में विभाजित किया गया है। राजस्व के निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण के लिए जिला स्तर पर जि0 आ0 अ0 / स0 आ0 आ0 नियुक्त किए गए हैं। आसवनी पर, स0 आ0 आ0 / प्रभारी अधिकारी (आबकारी निरीक्षक) आबकारी अभिकर के आरोपण तथा संग्रहण के लिये तैनात किये जाते हैं।

---

1 पी0 डी0–2अनुज्ञापन : सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति के प्रांगण में किसी आसवनी को कार्य करने के लिए जारी किया गया अनुज्ञापन।

2 आगरा, लखनऊ, मेरठ तथा वाराणसी ।

3 इलाहाबाद, आजमगढ, आगरा, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, तथा वाराणसी।

3.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

राज्य आबकारी विभाग में करों के निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण पर एक समीक्षा जून 2005 से मार्च 2006 की अवधि में सम्पादित की गई। वर्ष 2000–2001 से 2004–05 के अभिलेखों की नमूना जॉच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि:

- अधिनियम/नियमों के प्रावधानों तथा विभाग द्वारा निर्गत कार्यकारी निर्देशों के अनुसार अभिकर, फीस तथा शास्ति वसूल किये जाते थे,
- नई आबकारी नीति के अनुसार दुकानों का व्यवस्थापन किया गया था और
- प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में थी।

3.2.5 लेखा परीक्षा के क्षेत्र

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 17[1] जिलों में राज्य की 44 आसवनियों में से 17 आसवनियॉ तथा 70 जिला आबकारी कार्यालयों में से 13 जिला आबकारी कार्यालयों की नमूना जॉच की गई। अधिकतम राजस्व अर्जित करने वाली आसवनियों/जिला आबकारी कार्यालयों को समीक्षा हेतु चुना गया।

3.2.6 राजस्व प्राप्ति का रूझान

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	कमी	प्रतिशतता
2001–02	2,300.00	1,963.89	(–) 336.11	(–) 14.62
2002–03	2,696.33	2,556.79	(–) 139.54	(–) 05.20
2003–04	2,850.00	2,473.16	(–) 376.84	(–) 13.20
2004–05	3,000.00	2,686.83	(–) 313.17	(–) 10.40

वर्ष 2001–02 से 2004–05 की अवधि में अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति में 5.20 *प्रतिशत* से 14.62 *प्रतिशत* की कमी देखी गई।

आबकारी नीति 2001 वर्ष 2001–02 में लागू की गई थी और उस वर्ष में राजस्व की कमी सम्भावित थीं। विभाग ने वर्ष 2002–03 में, वर्ष 2001–02 की अपेक्षा, अनुज्ञापन फीस तथा शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की वृद्वि तथा वियर, आई0एम0एफ0एल0, सी0एल0 के आबकारी अभिकर के पुनरीक्षण के कारण वास्तविक बजट में वृद्वि प्राप्त की। वर्ष 2003–04 के दौरान दुकानों के व्यवस्थापन की धनराशि में कमी हुई तथा देशी शराब के आबकारी अभिकर की दर में कमी की गई थी। वर्ष 2004–05 की दुकानों के व्यवस्थापन की 182.76 करोड़ रूपये की धनराशि वर्ष 2003–04 (मार्च 2004) से जमा की गई, फिर भी वर्ष 2003–04 की तुलना में वर्ष 2004–05 में 213.67 करोड़ रूपये के राजस्व की वृद्वि हुई।

3.2.7 अर्थदण्ड का अनारोपण

3.2.7.1 अल्कोहल का अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन

उ0प्र0आ0 अधिनियम के अनुसार एक आसवनी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनुज्ञापन में स्वीकृत सीमा तक स्प्रिट का उत्पादन करे। शासन ने 23 जुलाई 1998 को आसवनियों में नियुक्त आबकारी विभाग के सभी प्रभारी अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए थे कि कोई भी आसवनी अपनी निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता से

[1] बलरामपुर, बुलन्दशहर, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोंडा, गौतमबुद्धनगर(नोयडा), गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, शाहजहॉपुर, सहारनपुर एवं उन्नाव।

अधिक स्प्रिट/अल्कोहल का उत्पादन न करे। उ0 प्र0 आ0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी आसवनी के द्वारा विधिविरूद्ध उत्पादन किये जाने तथा मादक द्रव्य के निष्कासन पर दण्ड आरोपणीय होगा तथा दो वर्ष के करावास के अलावा 500 रूपए या देय अभिकर के दस गुना से कम नहीं, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपित होगा।

जिला गाजियाबाद में स्थित सिम्भावली आसवनी के अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया है कि आयुक्त आबकारी ने 26 अप्रैल 2003 को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता को दो गुनी 13,636 कि0 ली0[1] से 27,272 कि0 ली0 कर दी थी। शर्तों के अनुसार वृद्धि की गयी 13,636 कि0 ली0 की क्षमता औद्यौगिक अल्कोहल के उत्पादन के लिये ही थी।

यह देखा गया कि आसवनी ने वर्ष 2004–05 में 1,94,93,591[2] बी0 एल0 अल्कोहल का उत्पादन किया जिसमें से 27,78,728.4 बी0एल0 अल्कोहल औद्योगिक प्रयोगार्थ था। इतिशेष 1,67,14,862.6 बी0एल0 मानव उपभोग हेतु अधिष्ठापित क्षमता 1,36,36,000 बी0 एल0 के विरूद्ध था। इस प्रकार, आसवनी ने 30,78,862.6 बी0एल0 का अधिक उत्पादन मानव उपभोग हेतु अधिष्ठापित क्षमता से अधिक किया, जिसके लिये 381.78 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो विभाग ने आरोपित नहीं किया।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग/शासन ने जुलाई 2006/अगस्त 2006 में उत्तर दिया कि आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 27,272 कि0 ली0 थी और अल्कोहल का अधिक उत्पादन नहीं हुआ था। उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि आयुक्त ने इस शर्त के साथ अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाई थी कि 13,636 कि0 ली0 अल्कोहल औद्योगिक प्रयोग हेतु था। औद्योगिक उपयोग के अल्कोहल के उत्पादन को कम करने पर मानव उपभोग के लिये अल्कोहल का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से बढ़ गया; इसलिये, अर्थदण्ड आरोपणीय था।

3.2.7.2 शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन

उ0 प्र0 आबकारी आसवनी कार्यकलाप (संशोधित) नियमावली,1978 के अन्तर्गत शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से कम से कम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए0एल0), अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को जॉच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है। शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर अन्य शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किया जा सकता है तथा जमानत के रूप में जमा प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

15 आसवनियों[3] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान शीरे के 2,140 मिश्रित नमूने अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट को भेजे गये थे। अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट की आख्या के अनुसार शीरे में उपस्थित 21.43 लाख कुन्तल किण्वीय शर्करा से 11.24 करोड़ ए0एल0 अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए, जबकि अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 10.91 करोड़ ए0एल0 ही हुआ। इसके फलस्वरूप 33.39 लाख ए0एल0 अल्कोहल की कमी तथा 16.03 करोड़ रूपये के आबकारी राजस्व की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त अल्कोहल के कम उत्पादन पर न तो आसवकों के लाइसेंस रद्द किये गये और न ही 26.87 करोड़ रूपए की जमा प्रतिभूति का समपहरण किया गया।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2001–02 में अल्कोहल कम उत्पादन को प्रशमित करते समय, आयुक्त आबकारी ने फरवरी 2002 तथा जुलाई 2002 के मध्य यह चेतावनी दी

---

1 किलो लीटर ।

2 जैसा कि विभाग ने आबकारी आयुक्त को सूचित किया था।

3 बलरामपुर (1), गाजियाबाद (3), गोरखपुर (1), गोण्डा (1), लखीमपुर खीरी (1), लखनऊ (1), मेरठ (2), रामपुर (1), शाहजहाँपुर (1), सहारनपुर (2), एवं उन्नाव (1)।

कि छः महीने के अन्दर अल्कोहल के उत्पादन में सुधार न होने पर उनके अनुज्ञापन रद्द कर दिये जायेगें तथा उनके द्वारा जमा प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी। इसके बावजूद, आसवकों ने अल्कोहल के उत्पादन में सुधार नहीं लाये और आयुक्त ने रोजमर्रा के मामलों की तरह उसी चेतावनी के साथ प्रकरणों को प्रशमित करना जारी रखा जिसके डर–भय का कोई प्रभाव आसवकों पर नहीं पड़ा।

इसे इंगित करने के उपरान्त विभाग /शासन ने जुलाई 2006/अगस्त 2006 में बताया कि आयुक्त आबकारी द्वारा मई 2006 में प्लान्ट तथा मशीनरी की खराबी को नियंत्रित करने तथा आसवकों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में जो कम उत्पादन के कारण दिये गये थे, की जांच हेतु कठोर निर्देश जारी किये गये थे। आगे यह भी कहा गया कि प्रशमन की धनराशि को 5,000 रूपये से 50,000 रूपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।

3.2.8 अनुज्ञापन फीस की कम वसूली

उ0प्र0 विदेशी मदिरा भराई नियम 1969, जो समय–समय पर संशोधित किये गये के अन्तर्गत एफ0एल0–3 अनुज्ञापन प्राप्त करने तथा अनुज्ञापन के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञापन शुल्क अग्रिम रूप में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी या उससे पूर्व जमा करना होगा। एफ0एल0–3 अनुज्ञापन प्राप्त करने की अनुज्ञापन फीस की दर 31 मार्च 2003 तक 1 लाख रूपये तथा उसके बाद 2 लाख रूपये थी।

रामपुर स्थित एक आसवनी के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के नवीनीकरण के लिए 6.98 लाख रूपये वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान आसवक द्वारा या तो जमा नहीं किये गये या कम जमा किये गये। विभाग द्वारा उसे वसूलने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग/शासन ने जुलाई 2006/अगस्त 2006 में बताया कि वर्ष 2000–01 से 2004–05 के लिए एफ0एल0–3 अनुज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नवीनीकृत किये जाते रहे। अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (अगस्त 2006)।

3.2.9 देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी अभिकर की क्षति

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन व्यवस्थापन) नियम 2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष में प्रत्येक अनुज्ञापी समस्त निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) को उठाने के लिये दायी है। असफल होने की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापी की जमा प्रतिभूति से अभिकर की धनराशि का समायोजन करेगा तथा अनुज्ञापी से प्रतिभूति को पूरा करने की मांग करेगा अथवा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर देगा।

चार जिला आबकारी अधिकारियों[1] के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 102 अनुज्ञापियों ने सी0एल0 का वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक 13,37,595 बी0एल0 एम0जी0क्यू0 के सापेक्ष 12,68,903.735 बी0एल0 का उठान किया। इसके फलस्वरूप 68,691.265 बी0एल0 एम0जी0क्यू0 के कम उठान पर 54.50 लाख रूपये की आबकारी अभिकर निहित हुआ जैसा कि परिशिष्ट–'ग' में प्रदर्शित है।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग/शासन ने जून 2006 एवं अगस्त 2006 के मध्य सूचित किया कि 54.50 लाख रूपये की मांग अनुज्ञापियों के विरूद्ध जारी की गई जिसमें से 3.19 लाख रूपये अनुज्ञापियों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति से वसूल/समायोजित की गई तथा इतिशेष धनराशि हेतु वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये थे।

[1] गोरखपुर , झाँसी, कुशीनगर एवं सहारनपुर ।

3.2.10 आबकारी अभिकर के अन्तर दर की वसूली न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिकी के लिए अनुज्ञापन व्यवस्थापन) नियम 2002 के अनुसार अनुज्ञापी द्वारा उठाई गई समस्त देशी मदिरा की मात्रा की बिकी अनुज्ञापन की वैधता की अवधि में की जानी होगी तथा अनुज्ञापी को अनुज्ञापन की समाप्ति के पश्चात् अबिकीत स्टाक सरकार को वापस किया जाना है। वर्ष 2003–04 में सी0एल0 के लिए आबकारी अभिकर की दर रू0 79 प्रति बी0एल0 थी, जबकि यह वर्ष 2002–03 में रू0 69 प्रति बी0एल0 थी।

आबकारी आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि 29 जिलों में वर्ष 2002–03 की सी0एल0 की 61 लाख बी0एल0 का अवशेष स्टाक अनुज्ञापियों द्वारा उनके अनुज्ञापनों की समाप्ति के पश्चात आसवनियों को वापस नहीं किया गया। अतः वे 10 रू0 प्रति बी0एल0 की दर से वर्ष 2003–04 के आबकारी अभिकर के अन्तर की धनराशि के भुगतान के लिये दायी थे। यद्यपि आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 26 मार्च 2003 को वर्ष 2002–03 के इतिशेष स्टाक को माह अप्रैल 2003 में बेचने की अनुमति दी गयी थी किन्तु उसमें आबकारी अभिकर के अन्तरीय दर की धनराशि को वसूलने का कोई उल्लेख नहीं था। इस चूक के फलस्वरूप 6.10 करोड़ रूपये के आबकारी अभिकर की हानि हुई।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के पश्चात विभाग/शासन ने जुलाई 2006/अगस्त 2006 में अपने उत्तर में कहा कि 2002–03 की सी0एल0 की अवशेष मात्रा को वर्ष 2002–03 में हुई हानि तथा 2003–04 में सम्भावित हानि को बचाने के लिए वर्ष 2003–04 में अनुमति दी थी। विभाग द्वारा अनुमान लगाया गया था कि अतिरिक्त अभिकर आरोपणीय नहीं था, इसलिये कोई अभिकर वसूल नहीं हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्वानुमान तथ्यों पर आधारित नहीं था और आबकारी अभिकर अन्तरीय दर से वसूली योग्य था।

3.2.11 अनाज पर आधारित आसवनियों का मानक निर्धारित न किया जाना

उ0 प्र0 आ0 अधिनियम के अन्तर्गत एक आसवनी में न्यूनतम किण्वन तथा आसवन दक्षता का उपभुक्त शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन बनाये रखने के लिए प्रावधान किया गया है। फिर भी, अनाज पर आधारित आसवनियों के लिए अल्कोहल के उत्पादन के लिए विभाग द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है।

एक आसवक द्वारा 1997 से अनाज से अल्कोहल के उत्पादन के मानक के निर्धारण के लिये आबकारी आयुक्त को लिखा जाता रहा परन्तु अभी तक इसके लिए कोई मानक तय नहीं किये गये (मई 2006)। इस प्रकार अल्कोहल के उत्पादन के मानक निर्धारित न किये जाने के कारण आबकारी अभिकर की क्षति हुयी।

इसको इंगित किये जाने के पश्चात सरकार को विभाग ने जुलाई 2006 में उत्तर दिया कि अनाज से अल्कोहल के उत्पादन के मानक के लिए नियम प्रारूप शासन को अनुमोदन हेतु अप्रैल 2006 में प्रेषित किया जा चुका है। शासन का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

3.2.12 प्रतिभूति का अनियमित समायोजन

आबकारी आयुक्त प्रति वर्ष फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु नीति की घोषणा करता है तथा प्रति वर्ष यह स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अनुज्ञापन फीस के आधार पर 10 *प्रतिशत* प्रतिभूति की धनराशि राजकोष में जमा करना होगा। वर्ष के अन्त में, यदि कोई देय हो, तो उसका समायोजन करते हुये अवशेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग I के अनुसार सभी जमा राशियां या तीन लेखा वर्ष से अधिक पड़ी अदावाकृत अतिशेष, प्रत्येक वर्ष मार्च के बन्दी पर, सरकार को राजसात

हो जायेगी तथा महालेखाकार के कार्यालय में ट्रांस्फर इन्ट्री प्रविष्टि से उचित लेखा शीर्ष में जमा हो जायेगी।

आठ जिला आबकारी अधिकारियों[1] के अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया कि दुकान मालिकों की वर्ष 2002–03 में जमा प्रतिभूति की धनराशि 1.88 करोड़ रूपए वर्ष 2005–06 में देय प्रतिभूति के विरूद्ध समायोजित कर दी गई जो अनियमित था। चूंकि जमा प्रतिभूति की धनराशि तीन वर्ष से अधिक पुरानी थी इन्हें राजसात हो जाना चाहिये था। यह 1.88 करोड़ रूपये प्रतिभूति का अनियमित समायोजन था।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने लेखा परीक्षा के तथ्य को स्वीकार किया और आबकारी आयुक्त को 9 मई 2006 को निर्देश दिये गये कि प्रतिभूति की ऐसी धनराशियॉ जिनके तीन लेखा वर्ष से अधिक के समय व्यतीत चुके हो, उन्हें चालू वर्ष की प्रतिभूति के सापेक्ष समायोजन न किया जाय। विगत वर्षों की जमा प्रतिभूति की धनराशि को अनुज्ञापियों को कोषागार से वापसी की व्यावस्था की जाये। भविष्य में, आबकारी नियमों तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों का पालन किया जाय तथा प्रतिभूति को आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं किया जाय।

3.2.13 पी0डी0–2 अनुज्ञापन के नवीनीकरण में असाधारण विलम्ब

उ0प्र0आ0 अधिनियम के अनुसार, आबकारी वर्ष के लिए अनुज्ञापन के नवीनीकरण के लिए एक प्रार्थना–पत्र आबकारी आयुक्त को प्रति वर्ष 28 फरवरी तक या उससे पहले देना होगा। समय–समय पर निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क एक वर्ष के नवीनीकरण अथवा उसके भाग के लिए अग्रिम रूप से देय होगा। ऐसे मामले में जहॉ अनुज्ञापन का नवीनीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किया जाता है अथवा नवीनीकरण में विलम्ब होता है तो आसवनी नियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड की भागी होगी। ऐसी आसवनियों के मामले में जिन्हें पहले से अनुज्ञापन दिया जा चुका है, के अनुज्ञापन के अस्वीकार होने की दशा में उन्हें अस्थायी कार्यकलाप की अनुज्ञा उनके अपील के उपयुक्त समय तक अनिस्तारित रहने तक दी जा सकती है।

12 आसवनियों के वर्ष 2000–01 से 2004–05 से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच के दौरान यह देखा गया कि उनके अनुज्ञापन (पी0डी0–2) आबकारी वर्ष के आरम्भ के पूर्व नवीनीकरण नहीं किये गये यद्यपि उनके नवीनीकरण हेतु प्रार्थनापत्र आयुक्त आबकारी को समय से प्रस्तुत किये गये। अस्थायी रूप से कार्यकलाप जारी रखने के लिये अनुमति भी नहीं दी गयी थी। आयुक्त आबकारी ने अनुज्ञापन को जारी करने में तीन से 37 महीनों का समय लिया जैसा कि परिशिष्ट–'घ' मे प्रदर्शित है।

इस तथ्य को इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग/शासन ने जुलाई 2006/अगस्त 2006 में कहा कि प्रायः कलेक्टरों द्वारा नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाते हैं। अनुज्ञापन के नवीनीकरण के विलम्ब के बारे में यह भी कहा गया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर करके अनुज्ञापनों का नवीनीकरण किया गया। वस्तुतः यह लम्बी प्रकिया है। आगे, यह कहा गया कि यह जुर्म जो कि अधिनियम की धारा–64 से आच्छादित है, धारा–74(1) के अर्न्तगत दण्डनीय है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम तथा नियम में अनुज्ञापन के बिना आसवनी चलाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक पूर्ववर्ती आबकारी वर्ष के 31 मार्च तक अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु दबाव डालते हुये आयुक्त द्वारा समय–समय पर आदेश भी जारी किये गये है। यदि अनुज्ञापन का नवीनीकरण समय से नहीं कराया जाता है तो ऐसी आसवनियों के अल्कोहल का उत्पादन तथा विकय 31 मार्च के बाद नहीं कर सकेगें। तब भी, ऐसी आसवनियों ने अल्कोहल के उत्पादन तथा विकय का कार्य जारी रखा जो विधिविरूद्ध था तथा अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति को आकृष्ट करता है। परन्तु कोई दण्ड आरोपित नहीं हुआ।

---

[1] सहारनपुर,गोरखपुर,कानपुर शहर,फतेहपुर,जौनपुर,शाहजहॉपुर,गोण्डा तथा मेरठ।

3.2.14 आंतरिक नियंत्रण

3.2.14.1 आसवनी का नियतकालिक निरीक्षण न किया जाना

आसवनियों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु आयुक्त आबकारी के आदेश दिनांक 18 अगस्त 1990 के अनुसार आबकारी स्टाफ द्वारा आसवनियों के आवधिक निरीक्षण के लिये निर्धारित मानक बताये गये है :

क.सं.	पदनाम	आवधिकता
1.	प्रभारी अधिकारी	माह में एक बार आसवनी के प्रत्येक अनुभाग का निरीक्षण
2.	जिला आबकारी अधिकारी	आसवनी का त्रैमासिक विस्तृत निरीक्षण करनां।
3.	उप आबकारी आयुक्त	आसवनी का छमाही विस्तृत निरीक्षण करना।

11 आसवनियों[1] के नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान वांछित निरीक्षण नहीं कराये गये थे, जो निम्नवत है :

अधिकारी की श्रेणी	किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या	कराये गये निरीक्षणों की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
प्रभारी अधिकारी	660	415	245	37.12
जिला आबकारी अधिकारी	220	25	195	88.64
उप आबकारी आयुक्त	110	90	20	18.18
योग	**990**	**530**	**460**	**46.46**

यह देखने में आया कि इन वर्षो के दौरान विभिन्न स्तर पर 18.18 *प्रतिशत* से 88.64 *प्रतिशत* तक निरीक्षण में कमी थी। यह प्रदर्शित करता है कि आसवनियों पर समुचित नियंत्रण रखने में विभाग असफल रहा। यदि आवधिक निरीक्षण निर्धारित मानक के अनुसार किया गया होता तो अधिक उत्पादन तथा अल्कोहल के कम उत्पादन जैसे मामलों को रोका जा सकता था।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग/शासन ने जुलाई 2006/अगस्त 2006 में कहा कि आवधिक निरीक्षण में कमी के कारण, कार्य की अधिकता, कुछ आसवनियों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्त न किया जाना, जि0आ0अ0 द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण न किया जाना तथा अधिकारियों का स्थानीय चुनाव में नियुक्त होना था। औद्योगिक इकाईयों मे आवधिक निरीक्षण के मानक को अपनाने के लिये सभी निरीक्षण अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

3.2.14.2 आबकारी तालों की अनुचित आपूर्ति

उ0प्र0 आ0 अधिनियम के अन्तर्गत आसवनियों में मदिरा के दुरूपयोग या रिसाव को रोकने के लिए, सभी गोदामो, स्प्रिट पाइपों तथा बर्तनों आदि के लिये आबकारी तालों की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

14 आसवनियों[2] की नमूना जॉच में यह पाया गया कि वर्ष 2000–01 से 2004–05 में विभाग द्वारा आवश्यक संख्या में आबकारी ताले नहीं दिये गये जो निम्नवत् है :

1 सहकारी आसवनी,टपरी,सहारनपुर,सरैया आसवनी,गोरखपुर,मोदी आसवनी, मोदी नगर,बलरामपुर आसवनी,जगतजीत आसवनी, बुलन्दशहर, रामपुर, आसवनी,सिम्भौली सुगर मिल्स आसवनीगाजियाबाद,गोण्डा नवाबगंज,लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर तथा लखनऊ .

2 बलरामपुर, बुलन्दशहर (शिकन्दराबाद), गाजियाबाद (मोहन मिकिन्स मोहननगर, मोदी नगर तथा सिम्भावली), गोरखपुर(सरैया), गोण्डा(नवाबगंज), लखीमपुर–खीरी, लखनऊ(मोहनमिकिन्स), रामपुर, सहारनपुर (टपरी तथा पिलखिनी), शाहजहाँपुर एवं उन्नाव

वर्ष	तालों की आवश्यकता	विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ताले।	कमी
2000–01	134	88	46
2001–02	102	65	37
2002–03	100	50	50
2003–04	114	54	60
2004–05	121	65	56
योग	**571**	**322**	**249**

आबकारी तालों की कमी के कारण स्प्रिट के दुरूपयोग एवं रिसाव की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 571 तालों की आवश्यकता थी किन्तु मात्र 322 ताले उपलब्ध करायें गये जिससे 249 तालों की कमी रह गयी।

आगे यह देखा गया कि चार आसवनियों[1] में 72 आबकारी तालों की मांग के विरूद्ध विभाग ने 129 तालों की आपूर्ति की, जो अधिक थे।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात विभाग/शासन ने जुलाई 2006/अगस्त 2006 में कहा कि तालों की कमी अथवा अधिक आपूर्ति के सम्बन्ध में सभी आसवनियों से अलग से आख्या मांगी जा रही है वास्तविक स्थिति से जब और जैसे ही आख्या आसवनियों से प्राप्ति होती है, अवगत करा दिया जायेगा तथा प्रत्येक आसवनी को मांग के विरूद्ध तालों की आपूर्ति की जायेगी।

3.2.14.3 आन्तरिक लेखा परीक्षा

वित्त नियत्रंक एवं मुख्य लेखा अधिकारी के अधीन एक आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्यरत है। एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा एक सहायक लेखा अधिकारी से एक शाखा गठित है। लेखा परीक्षा शाखा आसवनियों, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालयों, तथा राज्य के अन्य आबकारी इकाईयों की लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि निरीक्षण की गई इकाइयों का प्रतिशत बहुत कम था जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:

वर्ष	निरीक्षण हेतु इकाइयों की संख्या	निरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	प्रतिशत
2000–01	108	14	94	87.03
2001–02	108	21	87	80.55
2002–03	108	2	106	98.14
2003–04	112	30	82	73.21
2004–05	112	25	87	77.67

चूंकि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा जॉच की गई नमूना जॉच का प्रतिशत बहुत ही कम था, आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य असफल रहा।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के पश्चात विभाग/शासन ने जुलाई 2006/अगस्त 2006 मे बताया कि स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के विरूद्ध 26 *प्रतिशत* कर्मचारी ही लगाये गये थे, जिससे आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्यकलाप प्रभावित हुआ। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने लेखा परीक्षा के पुर्नगठन तथा सशक्त बनाने के निर्देश 15 जनवरी 2003 को जारी किये थे जिसे विभाग द्वारा नहीं किया गया ।

1 बुलन्दशहर, गोण्डा, लखनऊ एवं उन्नाव

3.2.15 निष्कर्ष

अल्कोहल के अधिक उत्पादन रोकने में विभाग की असफलता, अनाज पर आधारित आसवनियों के लिये विभाग द्वारा मानक निर्धारित न किये जाने, अनुज्ञापन फीसों की कम वसूली होने, प्रतिभूति की विधिविरूद्ध समायोजन तथा अन्य अनियमितताओं के फलस्वरूप 406.40 करोड़ रूपए के धनराशि के राजस्व की क्षति हुई।

3.2.16 अभिस्वीकृति

"राज्य आबकारी विभाग में करों के निर्धारण, आरोपण तथा करो के संग्रहण" की समीक्षा पर लेखा परीक्षा के परिणाम शासन को जून 2006 में इस आशय से प्रतिवेदित किया गया था कि राज्य प्राप्तियों के लिए आडिट रिब्यू कमेटी (ए0आर0सी0–एस0आर0) मीटिंग में उपस्थित हो ताकि उनके विचारों की समीक्षा को अंतिम रूप देते समय समाविष्ट किया जा सके। एक सभा विशेष सचिव (वित्त/आबकारी) तथा आबकारी विभाग के प्रतिनिधियों के साथ 8 अगस्त 2006 को की गई, सदस्यों के विचारों की समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया।

3.3 दुकानों का व्यवस्थापन न किये जाने से राजस्व क्षति

नई आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2004–05 में शासन द्वारा आबकारी दुकानों के व्यावस्थापन हेतु आदेश[1] दिया गया था। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जिले की निर्धारित एम0जी0क्यू0 का व्यवस्थापन मौजूदा अनुज्ञापित दुकानों के कोटे को नवीनीकरण करके किया जाना था। अवशेष एम0जी0क्यू0 का व्यवस्थापन निर्धारित लाटरी पद्धति द्वारा नई दुकानें खोलकर किया जाना था। वर्ष 2004–05 के लिये बेसिक लाइसेंस फीस व आबकारी अभिकर की दर कमशः रू0 10 प्रति बी0एल0 व रू0 79 प्रति बी0एल0 था ।

जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय के अभिलेखों की जॉच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया (अप्रैल 2005), कि वर्ष 2004–05 में गाजीपुर जिले की एम0जी0क्यू0 27,70,000 बी0एल0 निर्धारित थी। 27,70,000 बी0एल0 एम0जी0क्यू0 के सापेक्ष 167 दुकानों के माध्यम से मात्र 25,73,431 बी0एल0 का व्यवस्थापन हुआ था। विभाग शासनादेश का अनुपालन करने में असफल रहा तथा वार्षिक एम0जी0क्यू0 को कम करके दुकानों का व्यवस्थापन किया गया। अतः नई दुकानें सृजित न किये जाने के कारण 1,96,569 बी0एल0 (एम0 जी0 क्यू0) व्यवस्थित होने से रह गया, और शासन को बेसिक अनुज्ञापन फीस एवं आबकारी अभिकर के रूप में 1.75 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात शासन/विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (जून 2006) कि मई 2004 में लोकसभा चुनाव में स्टाफ के लगने के कारण और चुनाव आयोग द्वारा लागू की गयी आचार संहिता एवं मौजूदा अनुज्ञापियों के विरोध के कारण दुकानों का व्यवस्थापन नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद भी विभाग नई दुकानें खोलने, विभागीय रूप से चलाने या व्यवस्थित करने में असफल रहा ।

---

1 स0 518–2/13, 2004–07 दि0 26–2–2004

अध्याय – 4
माल एवं यात्री वाहनों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2005–06 के दौरान नमूना जॉच में यह पाया गया, कि करों का अनारोपण/कम आरोपण, मार्ग कर व माल कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के अंतर्गत 250 प्रकरणों में 20.45 करोड़ रूपये निहित थे, जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

(करोड़ रूपये में)

क0सं0	श्रेणी	मामलों की सं0	धनराशि
1.	यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/कम निर्धारण	126	15.38
2.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	11	0.69
3.	माल कर का कम आरोपण	17	0.93
4.	एक मुश्त यात्री कर का सही गणना न किया जाना	4	0.08
5.	अन्य अनियमितताएँ	92	3.37
	योग	**250**	**20.45**

वर्ष 2005–06 के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण आदि में निहित 1.73 करोड़ रूपये के तीन प्रकरणों को स्वीकार किया, जिसमें से एक प्रकरण में 1.77 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी थी।

कुछ दृष्टांतस्वरूप प्रकरण जिनमें 1.73 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित हैं, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं:

4.2 अतिरिक्त कर का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 (यू0पी0मो0वा0करा0अधि0) के प्रावधानों के अंतर्गत मैक्सी कैब से सम्बंधित अतिरिक्त कर 9 नवम्बर 1998 से 4,500 रूपये प्रति तिमाही प्रति वाहन, 10 मार्च 2000 से 4,950 रूपये प्रति तिमाही प्रति वाहन एवं 6 अक्टूबर 2001 से 10,000 रूपये प्रति तिमाही प्रति वाहन निर्धारित था।

संभागीय परिवहन अधिकारी (आर0टी0ओ0) इलाहाबाद एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अम्बेडकर नगर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में जुलाई 2004 व जून 2005 के मध्य विदित हुआ, कि अप्रैल 2001 से मई 2005 के मध्य के अवधि के दौरान संचालित 32 मैक्सी कैब वाहनों का अतिरिक्त कर का निर्धारण नहीं किया गया था। अतिरिक्त कर के निर्धारण न करने के परिणाम स्वरूप 21.84 लाख रूपये के राजस्व की क्षति हुई।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात (नवम्बर 2005), विभाग ने बताया (अगस्त 2006) कि कार्यवाही की गयी थी और वसूली के उपरांत आगे सूचित किया जायेगा।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2005); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2006) ।

4.3 अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण किये जाने के कारण राजस्व क्षति

उत्तर प्रदेश मो0 वा0 कराधान अधिनियम के चतुर्थ अनुसूची की धारा–6 के अंतर्गत, एक नवम्बर 2002 तक 'ए' श्रेणी के मार्गों पर 9,000 कि0मी0 तक चार श्रेणियों[1] में मंजिली गाड़ियों पर अतिरिक्त कर लागू था। 2 नवम्बर 2002 से चारों श्रेणियों को एक श्रेणी में मिला दिया गया और 'ए' श्रेणी दर के मार्ग पर 9,000 कि0मी0 तक अतिरिक्त कर 376 रूपये प्रति सीट प्रति तिमाही देय था।

परिवहन विभाग के पॉच[2] कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया (जून व नवम्बर 2005 के मध्य) कि नवम्बर 2002 से अगस्त 2005 के मध्य की अवधि के दौरान 'ए श्रेणी' के मार्ग पर 1,010 वाहन संचालित थे। 2 नवम्बर 2002 से संशोधित दर के बजाय 1 नवम्बर 2002 तक लागू श्रेणी दर के अनुसार अतिरिक्त कर का आरोपण किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप 1.36 करोड़ रूपये का अतिरिक्त कर कम आरोपित किया गया।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात (नवम्बर 2005 से फरवरी 2006 के मध्य), विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और अगस्त 2006 मे बताया कि प्रकरण एक लम्बे समय से विवादित और शासन में निर्णय हेतु लम्बित होने के कारण बढ़ी हुयी दरों से नियमित रूप से वसूली नहीं हो सकी थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2005 व फरवरी 2006 के मध्य); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2006)।

4.4 बिना परमिट के संचालित वाहनों से अतिरिक्त कर की वसूली न किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन स्वामी समुचित परमिट के बिना सार्वजनिक स्थल पर परिवहन वाहन को प्रयोग में नहीं लायेगा। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम (6 अक्टूबर 2001 से यथा संशोधित) कोई भी मोटर वाहन (मंजिली गाडी) ड्राइवर के अतिरिक्त नौ व्यक्तियों से अधिक को ढोने के लिये बिना परमिट के पंजीकृत अथवा अधिगृहीत नहीं होगा। यदि कोई वाहन बिना परमिट के संचालित पाया जाता है तो वाहन स्वामी को देय कर एवं देय अतिरिक्त कर के साथ 25 प्रतिशत अधिक शास्ति की धनराशि का भुगतान करना होगा।

संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर नगर एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रतापगढ़ के कार्यालय के अप्रैल 2001 से अक्टूबर, 2005 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच में, सितम्बर 2004 एवं अक्टूबर 2005 के मध्य की अवधि के दौरान यह पाया गया कि 15 मंजिली गाड़ियॉ परमिट की वैधता समाप्ति के उपरांत भी अपने निर्धारित मार्गों पर संचालित थीं। वाहन स्वामियों द्वारा परमिटों का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। यद्यपि उनके द्वारा कर का भुगतान किया गया था किन्तु देय अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं किया गया था। जिसके परिमाणस्वरूप 14.85 लाख रूपये के अतिरिक्त कर की वसूली नहीं की गयी।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात (जनवरी 2005), विभाग ने आपत्ति स्वीकार की तथा प्रतापगढ़ के दो प्रकरणों में 01.77 लाख रूपये की वसूली की गयी तथा अगस्त 2006 में बताया कि शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की गयी थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 2006); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2006)।

1

एक तिमाही में तय की गयी दूरी (कि0मी0 में)	'ए' श्रेणी के मार्गों की दर–प्रति सीट प्रति तिमाही
(i) 4,500 तक	रू0 177
(ii) 4,500 से अधिक किन्तु 5,700 से अनधिक	रू0 223
(iii) 5,700 से अधिक किन्तु 7,200 से अनधिक	रू0 283
(iv) 7,200 से अधिक किन्तु 9,000 से अनधिक	रू0 376

2 आर0टी0ओ0 मुरादाबाद, ए0 आर0टी0ओ0 बाराबंकी, बुलन्दशहर, मऊ एवं मुजफ्फरनगर,

अध्याय–5
अन्य कर प्राप्तियॉं

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच वर्ष 2005–06 के दौरान वसूली कम किया जाना/न किया जाना अथवा राजस्व क्षति के 380.30 करोड़ रूपये के 192 प्रकरणों को निम्नलिखित विस्तृत श्रेणियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपये में)

क्र0 सं0	श्रेणियॉं	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
	स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन फीस		
1.	सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प ड्यूटी व निबंधन फीस का कम आरोपण	112	1.63
2.	लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	26	0.67
3.	अन्य अनियमितताऍं	12	0.76
	योग	**150**	**3.06**
	भू–राजस्व		
1.	संग्रह प्रभारों की कम वसूली किया जाना	1	0.003
2.	वितरित किसान बहियों[1] के फीस की वसूली न किया जाना	3	0.06
3.	भू–राजस्व की वसूली न किया/कम किया जाना	17	0.12
4.	पट्टा धारक से नजूल भूमि का वापस न लिया जाना	1	376.56
5.	अन्य अनियमितताऍं	6	0.08
	योग	**28**	**376.82**
	मनोरंजन कर		
1.	मनोरंजन कर की वसूली न किया जाना	8	0.08
2.	अन्य अनियमितताऍं	6	0.34
	योग	**14**	**0.42**
	महायोग	**192**	**380.30**

कुछ दृष्टान्तस्वरूप प्रकरण जिनमें 382.80 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं :

स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस

5.2 पट्टा अवधि की गलत गणना के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (आई0 एस0 एक्ट) के अंतर्गत किसी विलेख में जहॉं पट्टे की अवधि 30 वर्ष से अधिक या दवामी अवधि या निश्चित अवधि न हो, तो उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल पर हस्तान्तरण विलेख की भॉंति स्टाम्प ड्यूटी प्रभार्य है। महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0) ने दि0 22 अप्रैल–2003 को स्पष्ट किया, कि लीज की अवधि 30 वर्ष से कम होने पर अगर अवधि को निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि हेतु आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, तो स्टाम्प ड्यूटी की प्रभार्यता सम्पति के बाजार मूल्य के प्रतिफल पर देय होगा।

सात उपनिबन्धकों[2] (उ0नि0) के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया (अक्टूबर 2004 से अक्टूबर 2005 के मध्य); कि 20 से 31 वर्षों के मध्य की लीज अवधि के आठ पट्टा विलेख दिसम्बर 2003 से जुलाई 2005 के दौरान निबन्धित किये गये जिनमें

---

1 भू–राजस्व विभाग द्वारा किसानों के लेखा बही की पुस्तिका का रख–रखाव किया जाता है।

2 उप निबन्धक बलिया (सदर), बॉसडीह, हैदरगढ, लखनऊ–I, मोहम्मदी, सिराथू एवं टूण्डला।

स्टाम्प ड्यूटी 1.67 लाख रूपये व निबन्धन फीस 0.27 लाख रूपये आरोपित किये गये। यद्यपि विलेखों के कथन में यह प्रकट हुआ कि पट्टे को आगे बढ़ाने के साथ पट्टा धारक के मालिकाना हक को भी स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया गया था, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी व निबन्धन फीस 39.27 लाख रूपये आरोपणीय था। पट्टा अवधि के गलत आगणन के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन फीस 37.33 लाख रूपये का कम आरोपण किया गया।

प्रकरण विभाग/शासन को संदर्भित किया गया (मार्च–2005 व फरवरी–2006 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जुलाई–2006)।

5.3 विलेख के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प ड्यूटी का कम आरोपण

आई0 एस0 अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क निष्पादक द्वारा दिये गये टाइटिल, विवरण या नामावली पर निर्भर न होकर विलेख में अभिलिखित सम्व्यवहार पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी व भूमि सुधार अधिनियम 1950, (भूमि सुधार अनिधनियम) के अंतर्गत भूमिधरी (भूमि का मालिकाना) अधिकार का अप्रतिबंधित हस्तान्तरण का पट्टा मान्य नहीं है। अग्रेतर आई0 एस0 अधिनियम के अनुसूची–I ख के अनुच्छेद–23 में यह प्रावधानित है, कि सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी स्थानान्तरण विलेखों में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हस्तान्तरण विलेख की भॉति देय होगी।

उ0नि0 मेजा व फूलपुर जनपद इलाहाबाद के नमूना अभिलेखों की जॉच में विदित हुआ कि 35,176 व0 मी0 भूमि का 30 वर्ष हेतु पट्टे पर हस्तान्तरण हुआ तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन फीस 5,520 रूपये प्रभारित किया गया। भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का लीज पर हस्तान्तरण मान्य नहीं था। इस सम्व्यवहार पर 18.66 लाख रूपये का स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन फीस हस्तान्तरण विलेख की भॉति आरोपणीय था। इसके परिणाम स्वरूप 18.60 लाख रूपये का स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन फीस कम आरोपित किया गया।

प्रकरणों को विभाग एवं शासन को संदर्भित किया गया था नवम्बर–2005; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जुलाई–2006)।

5.4 सम्पति के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प ड्यूटी का कम आरोपण

आई0 एस0 अधिनियम के अंतर्गत, (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित), किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली) 1997 के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निबन्धन अधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु जिले में स्थित विभिन्न प्रकार की भूमि/सम्पत्ति का बाजार मूल्य द्विवार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है। जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा 16 जून 2004 को अनुमोदित सर्किल मूल्य में निहित मार्गदर्शन के अनुसार एक भूमि का *खसरा,* नगर पालिका कमेटी की सीमा के अंदर और बाहर दोनों ओर स्थित हो, का मूल्यांकन नगर पालिका क्षेत्र में स्थिति भूमि के अनुसार किया जायेगा।

उ0नि0, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर) के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया (जून 2005) कि अकबरपुर–फैजाबाद रोड पर (अकबरपुर नगर पालिका कमेटी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत) स्थित एक 2,630 व0 मी0 भूमि का विक्रय से सम्बन्धित हस्तान्तरण विलेख जुलाई 2004, में निबन्धित किया गया। स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन फीस के आरोपण हेतु 100 व0 मी0 भूमि के हिस्से का मूल्यॉकन वाणिज्यिक दर से किया गया और शेष 2,530 व0 मी0 भूमि के मूल्यॉकन का निर्धारण कृषि दर पर किया गया, जबकि सम्पूर्ण सम्पत्ति के मूल्यॉकन का निर्धारण वाणिज्यिक दर पर किया जाना चाहिये था, क्योंकि किसी खसरे का बाजारू मूल्य एक ही रहता है। अतः सम्पत्ति के

अवमूल्यन के कारण शासन को 9.84 लाख रूपये के स्टाम्प ड्यूटी एवं निबन्धन फीस से वंचित होना पड़ा।

प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया था अक्टूबर 2005 व दिसम्बर 2005 ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं जुलाई 2006।

भू–राजस्व

5.5 पट्टाधारक से नजूल भूमि का वापस न लिया जाना

नजूल भूमि[1] वह भूमि है जो शासन द्वारा लोक न्यास में दवामी में धारित किया गया है, जिसके अधिग्रहण को पट्टा या विक्रय के रूप में हस्तान्तरण किया जा सकता है। सम्बंधित जिले का जिलाधिकारी *नजूल भूमि* के प्रबंधन व प्रशासन के लिये समग्र प्रभारी होता है। लखनऊ में प्रबंधन का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल0डी0ए0) एवं अन्य स्थानों में *नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों* को सौंपा गया है। *नजूल मैनुअल* के नियम 67 सपठित नियम 22 में *नजूल भूमि* का दवामी पट्टा देना प्रतिबंधित है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पट्टा दवामी के लिये दिया गया हो, या पट्टे की अवधि अंकित न हो, वहाँ अधिकतम् 90 वर्ष का पट्टा ही माना जा सकता है अगर कोई विक्रय विलेख निष्पादित होता है, तो भूमि का मूल्य बाजार दर[2] पर वसूल किया जाना चाहिये और स्टाम्प ड्यूटी एक हस्तान्तरण विलेख की भाँति प्रभारणीय है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल0डी0ए0) व पॉच[3] *नगर निगमों* के शैक्षणिक संस्थाओं के अधिग्रहण में *नजूल भूमि* से सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ (अगस्त 2005 से फरवरी 2006 के मध्य) कि 17 प्रकरणों में पट्टा समाप्त हो गया था, किन्तु शासन द्वारा भूमि के मालिकाना अधिकार वापसी की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसके परिणाम स्वरूप भूमि पट्टा समाप्ति के उपरांत अनाधिकृत रूप से पट्टाधारक के अधिग्रहण में रही। भूमि की लागत वर्तमान बाजार मूल्य 342.26 करोड़ रूपये आगणित होता है, इसके अतिरिक्त 34.30 करोड़ रूपये का स्टाम्प ड्यूटी व निबंधन फीस भी आरोपणीय है।

प्रकरण विभाग एवं शासन को संदर्भित किया गया (अक्टूबर 2005 से मार्च 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जुलाई 2006)।

मनोरंजन कर

5.6 अप्रयुक्त अनुरक्षण प्रभार का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 के प्रावधानों अनुसार एक सिनेमा मालिक (जिसे अनुदान प्राप्त नही है) सिनेमा हाल में सीट के लिये प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से प्रवेश दर के अतिरिक्त 1.50 रूपये वसूलने के लिये अधिकृत है। इस धनराशि को सिनेमा परिसर के अनुरक्षण पर खर्च किया जाना होता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने भी अपने न्यायिक आधिकारिक घोषणा में कहा है, कि खर्च न की गयी धनराशि के अनुरक्षण प्रभार को आमोद कर के रूप में शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिये। अनुरक्षण का प्राप्ति एवं व्यय का मदवार विस्तृत विवरण चार्टर्ड एकाउण्टेंट (सी0ए0) से प्रमाणित कराकर अगले वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक या उससे पहले कार्यालय में प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

---

1 नजूल भूमि–भूमि जो जमींदारों, नवाबों, राजाओं, आदि से अधिहरण (जब्त) की गयी हो। इसकों न तो अधिगृहीत किया गया हो न ही उसका मूल्य अदा किया गया है।

2 जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सर्किल दर सूची पर आधारित।

3 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, झॉसी एवं मुरादाबाद।

5.6.1 मनोरंजन कर विभाग के सात कार्यालयों[1] के अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ (अगस्त–2005 से मार्च–2006 के मध्य), कि वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान सिनेमा मालिकों द्वारा 146 प्रकरणों में अनुरक्षण प्रभार के रूप में 4 करोड़ रूपये वसूल किये गये। जिसमें से 76 प्रकरणों में निहित 1.70 करोड़ रूपये के व्यय के प्रमाणपत्रों को सी0 ए0 से प्रमाणित कराकर जमा नहीं किये गये थें, जबकि अवशेष 70 प्रकरणों में निहित 2.30 करोड़ रूपये के सी0 ए0 के सर्टिफिकेट जमा तो किये गये थे, किन्तु इनमें मदवार व्यय का आवश्यक विवरण प्रदर्शित नहीं था। इस प्रकार सम्पूर्ण 4 करोड़ रूपये की धनराशि मनोरंजन कर के रूप में वसूली योग्य था।

5.6.2 उत्तर प्रदेश मनोरंजन कर आयुक्त ने कुछ निश्चित मदें जैसे भवन, मूत्रालय, चाहरदीवारी, ध्वनि संयत्र, दरवाजे, बैठने की व्यवस्था आदि अनुरक्षण हेतु निर्दिष्ट की हैं जिन पर अनुरक्षण प्रभार को व्यय किया जाना होता है।

14 कार्यालयों[2] के अभिलेखों की नमूना जॉच में विदित हुआ (अगस्त–2005 से मार्च–2006 के मध्य) कि वर्ष 2000–01 से 2004–05 के मध्य 200 प्रकरणों में सिनेमा मालिकों द्वारा 1 करोड़ रूपये केबिन व्यय, विद्युत बिलों, वर्दियों एवं इनवर्टरों आदि पर खर्च किये गये, जो कि उपर्युक्त आदेश में निर्दिष्ट नहीं थे। इस तरह व्यय अनुमन्य नहीं था। इस प्रकार सिनेमा मालिको से 1 करोड़ रूपये वसूली योग्य था।

5.6.3 7 कार्यालयों[3] के अभिलेखों कि नमूना जॉच में पाया गया (अगस्त 2005 व मार्च 2006 के मध्य), कि सिनेमा मालिकों द्वारा 144 प्रकरणों में सी0 ए0 सर्टिफिकेट के अनुसार अप्रैल–2000 से मार्च–2005 की अवधि के दौरान संग्रहीत धनराशि 4.43 करोड़ रूपये के सापेक्ष 3.92 करोड़ रूपये सिनेमा हाल के अनुरक्षण पर व्यय किये गये। इस प्रकार अवशेष 51 लाख रूपये की धनराशि मनोरंजन कर के रूप में जमा किया जाना चाहिये था।

उपर्युक्त प्रकरणों को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जुलाई 2006)।

5.7 विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 के अन्तर्गत मनोरंजन कर सिनेमा मालिक द्वारा सप्ताह की समाप्ति के तीन दिन के अन्दर जमा करना होता है और केबिल टी0 वी0 संचालक द्वारा महीने की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होता है। उल्लंघन के प्रकरण में सिनेमा मालिक से प्रथम तीन माहों में डेढ़ *प्रतिशत* और इसके पश्चात् दो *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से तथा केबिल संचालक से दो *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूली योग्य है।

चार कार्यालयों[4] के अभिलेखों की जॉच के दौरान देखा गया; कि मनोरंजन कर की धनराशि 16.25 लाख रूपये अप्रैल 1998 से अप्रैल 2004 तक एक सिनेमा मालिक व 11 केबिल संचालकों से देय थी जिसको मई 2000 व अगस्त 2005 के मध्य जमा किया गया था। 60 से 2,640 दिनों के विलम्ब की अवधि थी। विलम्बित भुगतान पर 6.93 लाख रूपये ब्याज की धनराशि उपार्जित हुयी, जिसको विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन/विभाग को संदर्भित किया गया (मई 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जुलाई 2006)।

---

1 आगरा, अलीगढ़, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर एवं वाराणसी

2 आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, झॉसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपपुर, एवं वाराणसी।

3 आगरा, बरेली, जी0बी0नगर, झॉसी, मेरठ, सहारानपुर एवं वाराणसी।

4 अलीगढ़, जी0बी0 नगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी।

अध्याय–6
अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच अवधि वर्ष 2005–06, के दौरान वसूली नहीं/कम/राजस्व क्षति के 126.88 करोड़ रूपये के सन्निहित धनराशि के 80 प्रकरण प्रकाश में आये, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क0 सं0	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
	लोक निर्माण विभाग		
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग	1	0.02
2.	सेंटेज प्रभारों का वसूल न किया जाना	11	0.006
3.	अन्य अनियमितताएँ	5	0.09
	योग	**17**	**0.12**
	वित्त विभाग		
1.	संग्रह प्रभारों का जमा न किया जाना	33	10.38
2.	अन्य अनियमितताएँ	29	28.35
	योग	**62**	**38.73**
	वन विभाग		
1.	राजस्व का अवरूद्ध रहना	01	88.03
	योग	**01**	**88.03**
	महा योग	**80**	**126.88**

सम्बंधित विभागों द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान एक प्रकरण में 13 लाख रूपये की कम वसूली को स्वीकार किया गया।

कुछ दृष्टान्तस्वरूप प्रकरण जिनमें 12.13 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है अनुवर्ती प्रस्तरो में दिये गये हैं:

लोक निर्माण विभाग

6.2 स्टोन बोल्डर्स व मिट्टी के संग्रह पर रायल्टी की वसूली न किया जाना

शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर 1988 सपठित 2 फरवरी 2001 को जारी निर्देशों के अनुसार सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निदेशित किया गया, कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि सभी ठेकेदारों/आपूर्तिकारों को स्टोन बैलास्ट, मोरम, मिट्टी एवं बालू के आपूर्ति के भुगतान करने से पूर्व उन्होंने खान एवं खनिज विभाग को रायल्टी का भुगतान कर दिया है, और खान एवं खनिज विभाग द्वारा निर्गत प्राप्ति रसीद प्रपत्र एम0एम0–11 प्रस्तुत किया गया है। डिफाल्टर होने के प्रकरण में ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी काट ली जाय। रायल्टी की दर 1 अप्रैल 2001 से मिट्टी पर 4 रूपये प्रति घनमीटर व स्टोन ग्रिट पर 23 रूपये प्रति घनमीटर है।

चार लोक निर्माण प्रखण्डों[1] में यह पाया गया (सितम्बर 2003 व सितम्बर 2005 के मध्य), कि विभिन्न ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 24,949.72 घन मीटर स्टोन बैलास्ट/गिट्टी और 1,69,556.43 घन मीटर मिट्टी निर्माण एवं बॉध के कार्य हेतु आपूर्ति की गयी, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा भुगतान करने से पूर्व न तो ठेकेदारों

[1] अधि. अभि. प्रांतीय खण्ड (लो0नि0वि0) देवरिया, अधि.अभि. प्रांतीय खण्ड (लो0नि0वि0) फिरोजाबाद, अधि.अभि. प्रांतीय खण्ड (लो0नि0वि0) गाजीपुर एवं अधि.अभि. निर्माण खण्ड–II (लो0नि0वि0) रायबरेली।

से प्राप्ति प्रपत्र एम0एम0–11 प्राप्त किया गया न ही उनके देयकों से रायल्टी की कटौती की गयी। इसके परिणाम स्वरूप 12.52 लाख रूपये की रायल्टी की हानि हुई।

इसके उपरांत इंगित किये जाने पर (नवम्बर/दिसम्बर 2005), सम्बन्धित जिला खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया (अगस्त 2006) कि न तो ठेकेदारों को प्रपत्र एम0 एम0–11 निर्गत किया गया, न ही रायल्टी जमा की गयी।

प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर व दिसम्बर 2005 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2006)।

वित्त विभाग

6.3 गारन्टी फीस का कम आरोपण

वित्त विभाग ने आदेश दि0 15 सितम्बर 2000 द्वारा निदेशित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम से, राज्य सरकार द्वारा जिस तिथि पर गारन्टी दी गयी है उस तिथि से ब्याज की बकाया धनराशि सहित ऋण की धनराशि पर एक *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से गारन्टी फीस वसूल किया जाना है। गारन्टी फीस ऋण की गारन्टी के समय और ऋण की बकाया धनराशि पर वित्तीय वर्ष के शुरू में वसूल किया जाना होता है। भुगतान में डिफाल्ट होने पर सामान्य दर की दो गुना गारन्टी फीस आरोपणीय है।

मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखे) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड लखनऊ *(निगम)* के कार्यालय के अभिलेखों की जॉच में विदित हुआ (मई 2006); कि 2003–04 व 2005–06 के मध्य परीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन, झॉसी के विस्तारण हेतु शासन द्वारा पावर वित्त निगम (पी0 एफ0 सी0) नई दिल्ली से ऋण प्राप्त करने हेतु 1,404 करोड़ रूपये की गारन्टी दी गयी। कुल गारन्टी शुदा धनराशि में से निगम ने 31 मार्च 2000 तक 1,200 करोड़ रूपये का ऋण प्राप्त किया, जिस पर नियम एवं शर्तों के अनुसार 24 करोड़ रूपये की गारन्टी फीस देय था। लेकिन निगम ने मात्र 12 करोड़ रूपये का ही भुगतान किया था, इसके परिणाम स्वरूप 12 करोड़ रूपये का गारन्टी फीस का कम भुगतान हुआ। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	गारन्टी की अवधि	ऋण की धनराशि	देय गारन्टी फीस	अदा की गयी गारन्टी फीस	कम वसूल की गयी गारन्टी फीस
2003–04	27–03–2004 से 31–03–2006	250	7.50	2.50	5
2004–05	16–07–2004 से 31–03–2006	700	14.00	7.00	7
2005–06	20–12–2005 से 31–03–2006	250	2.50	2.50	शून्य
	योग	**1,200**	**24.00**	**12.00**	**12**

प्रकरण विभाग एवं शासन को संदर्भित किया गया (जून 2006); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जुलाई 2006)।

वन विभाग

6.4 परिपक्व/अति परिपक्व साल वृक्षों का पातन न होने से राजस्व का अवरूद्ध रहना

पर्यावरण के स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में विचार किया गया, कि शासन से प्रबन्धकीय योजना (कार्य योजना) को स्वीकृति मिले बिना किसी भी वन के कार्यरूप को अनुमन्य

नहीं किया जाना चाहिये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, कि सभी वनों में वृक्षों का पातन सिवाय केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य सरकार की कार्य योजना को छोड़कर निलम्बित रहेगा।

भारत सरकार (जी0ओ0आई0) ने जुलाई 2001 में अवधि 2000–2010 के लिये लखीमपुर खीरी के दक्षिण खीरी प्रभाग के कार्य योजना (डब्लू0 पी0) को स्वीकृत किया। डब्लू0 पी0 के साथ–साथ उल्लिखित किया गया कि परिपक्व तथा अति परिपक्व साल वृक्षों, जिनका पातन पूर्व कार्य योजना के अन्तर्गत नहीं हुआ था, उनसे घिरी हुई भूमि पर प्रकाश सुलभ न होने के कारण नये साल वृक्षों के पुर्नजनन पर कुप्रभाव पड़ रहा था।

प्रभागीय वनाधिकारी (डी0एफ0ओ0) दक्षिण खीरी प्रभाग, लखीमपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया (फरवरी 2005); कि जी0ओ0आई0द्वारा स्वीकृत डब्लू0पी0 के *साल सुधार कार्य वृत्त* में अवधि 2000–05 के दौरान 4,291.60 हेक्टेअर क्षेत्रफल में 1,35,476.217 घन मीटर टिम्बर के 42,935 परिपक्व/अतिपरिपक्व साल के वृक्षों के पातन पर विचार किया गया था। इसका यद्यपि प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम (यू0पी0एफ0सी0) को पातन हेतु आवंटन नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रभाग द्वारा उपर्युक्त साल वृक्षों के पातन हेतु कथित क्षेत्रफल के आवंटन में असफलता के फलस्वरूप 88.03 करोड़ रूपये की रायल्टी की धनराशि अवरूद्ध रही। इसके अतिरिक्त साल वृक्षों का पुर्नजनन भी प्रभावित हुआ।

इसको इंगित किये जाने के पश्चात (मार्च 2005), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2005) कि डब्लू0पी0 में शुष्क, रूग्ण अथवा सूखे खड़े हुये वृक्षों का पातन स्वीकृत किया गया था, जिसको निष्पादित किया गया। शासन का जवाब मानने योग्य नहीं था, क्योंकि अनुमोदित डब्लू0 पी0 (प्रस्तर 8.32) में प्रभाग द्वारा कूप बनाये गये थे जिसमें लखीमपुर खीरी के वन प्रभाग के विभिन्न क्षेत्रों में पातन हेतु क्षेत्रफल निश्चित किया गया था।

लखनऊ
दिनांक : 13 दिसम्बर 2006

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 18 दिसम्बर 2006

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 'क'
अर्थदण्ड का अनारोपण
(प्रस्तर संख्या–2.8.1)

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष कर निर्धारण का माह	क्रय की धनराशि	केन्दीय पंजीयन प्रमाण पत्र से अनाच्छादित समग्री का नाम	कर की दर (प्रतिशत में)	अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड	लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा आरोपित अर्थदण्ड
1.	डिप्टी0क0(क0नि0) व्या0क0 फैजाबाद	1	2001–02 फरवरी–04	14.20	'कोर पाइप, पेपर टेप, वायर क्लाथ तथा फायर ब्रिक्स'	10	15	2.13	2.02
2.	डिप्टी0 क0 (क0नि0)–II, व्या0क0 सीतापुर	1	2001–02 मार्च–04	1.81 3.37	'एल0डी0ओ0' 'गिट्टी'	32.5 10	48.75 15	0.88 0.50	0.88 0.40
3.	असि0क0, व्या0क0, अम्बेडकर नगर	1	2000–01 दिसम्बर–02	6.92	'स्ट्रेनर'	10	15	1.04	1.04
4.	डिप्टी0क0 (क0नि0)– I, व्या0क0 मुजफ्फर नगर	1	2001–02 मार्च–04	5.47	'टैंकर का चेसिस'	10	15	0.82	0.82
5.	असि0क0,खण्ड– I, व्या0क0, झाँसी	1	2000–01 दिसम्बर–02	23.72 2.81	'मोम' 'टी0एस0पी0'	20 10	30 15	7.12 0.42	7.12 0.42
6.	असि0क0,खण्ड–V, व्या0क0, गाजियाबाद	1	1998–99 से 2000–01 दिसम्बर–02	162.38	'स्याही,केमिकल, फिल्म तथा पैकिंग सामग्री'	10	15	24.36	24.35
7.	डिप्टी0क0 (क0नि0)– IV, व्या0क0 कानपुर	1	2002–03 अक्टूबर–04	163.63	'प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स'	10	15	24.54	शून्य
8.	डिप्टी0क0 (क0नि0)– II व्या0क0 वाराणसी	1	2002–03 जून–05	67.44	'इन्वर्टर'	10	15	10.12	शून्य
9.	डिप्टी0क0 (क0नि0), व्या0क0 शामली (मुजफ्फर नगर)	1	2001–02 मार्च–04	22.72	'शीरा'	20	30	6.82	शून्य
10	डिप्टी0क0 (क0नि0)– III, व्या0क0 बरेली	1	2001–02 मार्च–04	91.48	'सफेद कागज व बैटरी'	10	15	13.72	शून्य
11.	डिप्टी0क0 (क0नि0)– XI, व्या0क0 कानपुर	1	2000–01 मई–02	14.78	'जेनरेटर व कागज'	10	15	2.22	2.22
12.	डिप्टी0क0 (क0नि0)– VII, व्या0क0 नोयडा	1	2001–02 फरवरी–04	5.86	'सल्वर वायर, ब्रास गुटका,टिन एनोड,ट्यूवलर शाफ्ट आदि'	10	15	0.88	0.88
13.	असि0क0,खण्ड– I, व्या0क0,हरदोई	1	2000–01 व 2001–02 फरवरी–04	4.89	'फेरस सल्फेट'	10	15	0.73	0.73
14.	असि0क0,खण्ड– II, व्या0क0, वाराणसी	1	2001–02 अक्टूबर–03	4.37	'हेलमेट'	10	15	0.66	0.66
15.	डिप्टी0क0 (क0नि0), व्या0क0 फैजाबाद	1	2000–01 फरवरी–03	3.87	'बियरिंग, थर्मामीटर व थर्मामीटर ड्रम'	10	15	0.58	0.58
16.	डिप्टी0क0 (क0नि0)– I, व्या0क0 कानपुर	1	2002–03 फरवरी–05	15.39	'डीजल'	26	39	6.00	शून्य
17.	डिप्टी0क0 (क0नि0), व्या0क0 सोनभद्र	1	1991–92 और 1992–93 जनवरी–04	8.91	'पाइप,फाइवर–ग्लास व एफ0आर0पी0 टावर'	10	15	1.34	1.34
18.	असि0क0, खण्ड– XII, व्या0क0,लखनऊ	1	2002–03 मार्च–05	5.58	'लकडी के साज–सज्जा, मेंज,कुर्सी तथा प्लाईवुड'	10	15	0.84	शून्य
19.	असि0क0,खण्ड– I, व्या0क0, मथुरा	2	2001–02 जून–05	0.74	'डीप फ्रीजर, वाटर–कूलर	16	24	0.18	शून्य
				8.07	'फर्नीचर'	10	15	1.21	शून्य
			2002–03 नवम्बर–04	6.20	'डीजल पार्ट्स'	10	15	0.93	शून्य
20.	डिप्टी0क0 (क0नि0), व्या0क0 सरधना मेरठ	1	2002–03 जून–04	35.52	'पैकिंग सामग्री, कलपुर्जे व प्रयोगशाला उपकरण'	10	15	5.33	शून्य
	योग	21		680.13				113.37	43.46

परिशिष्ट 'ख'
अर्थदण्ड का अनारोपण
(प्रस्तर संख्या–2.8.4)

(लाख रूपये में)

क0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष कर निर्धारण का माह	छिपाया गया टर्नओवर	छिपाया गया कर	न्यूनतम आरोपणीय दण्ड	लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा आरोपित माँग
1.	असि0क0,खण्ड–1, व्या0क0, वाराणसी	1	1998–99 से 1999–2000 अगस्त–01	162.67	6.51	3.25	19.52
2.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–I, व्या0क0, शाहजहांपुर	1	2000–01 अप्रैल–02	25.65	1.03	0.52	1.00
3.	डप्टी0क0, (क0नि0)–IX, व्या0क0, लखनऊ	1	2000–01 अक्टूबर–02	18.85	1.59	0.79	0.79
4.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–II, व्या0क0, मुजफ्फर नगर	1	1995–96 मार्च–02	31.32	3.92	1.96	1.96
5.	डिप्टी0क0, (क0नि0)– I, व्या0क0, मुजफ्फर नगर	1	2001–02 फरवरी–03	37.50	2.10	1.05	4.20
6.	डिप्टी0क0,(क0नि0), व्या0क0 सिकन्दराबाद	1	1996–97 मार्च–1999	41.70	1.67	0.84	0.84
7.	असि0क0,खण्ड–II,व्या0क0, कानपुर	1	1999–2000 अक्टूबर–02	86.88	4.35	2.19	8.70
8.	असि0क0,खण्ड–IV,व्या0क0, आगरा	1	2000–01 सितम्बर–03	300.00	12.00	6.00	शून्य
9.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–VI, व्या0क0 आगरा	2	2002–03 अक्टूबर–04	120.00	4.40	2.20	शून्य
			2002–03 दिसम्बर–03	45.00	1.60	0.80	शून्य
10	डिप्टी0क0,(क0नि0)–XIX, व्या0क0 कानपुर	1	2003–04 मार्च–05	34.50	6.85	3.43	शून्य
11.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–IV, व्या0क0 मुजफ्फर नगर	2	1997–98 मार्च–2000	37.75	3.78	1.89	1.89
			2001–02 दिसम्बर–03	52.00	2.08	1.04	1.04
12.	डिप्टी0क0, (क0नि0), व्या0क0 बदायूँ	1	1998–99 दिसम्बर–03	10.00	1.50	0.75	0.75
13.	असि0क0,खण्ड– II, व्या0क0, बहराइच	1	2001–02 अक्टूबर–04	38.00	1.12	0.56	0.56
14.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–VI, व्या0क0 मेरठ	1	2002–03 मार्च–05	100.32	4.01	2.01	5.00
15.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–XII, व्या0क0 लखनऊ	1	2000–01 फरवरी–03	27.00	1.80	0.90	3.60
16.	डिप्टी0क0, (क0नि0)– III, व्या0क0, मुरादाबाद	1	1995–96 नवम्बर–1998	117.69	3.70	1.85	शून्य
17.	डिप्टी0क0, (क0नि0)– III, व्या0क0, आगरा	1	2000–01 दिसम्बर–04	120.00	12.00	6.00	शून्य
18.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–XII, व्या0क0, गाजियाबाद	1	2000–01 अक्टूबर–02	251.10	31.14	15.57	शून्य
19.	असि0क0,खण्ड– I, व्या0क0, गाजियाबाद	1	2000–01 मार्च–0	7.56	0.30	0.15	0.15
20.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–XI, व्या0क0, गाजियाबाद	1	2001–02 मई–03	35.00	0.66	0.33	0.20
21.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–VIII, व्या0क0 नोयडा	2	2003–04 फरवरी–05	5.50	0.55	0.28	शून्य
			2004–05 मई–05	260.00	15.80	7.90	शून्य
22.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–II, व्या0क0, कानपुर	1	2001–02 जुलाई–04	75.00	2.55	1.28	1.28
23.	डिप्टी0क0, (क0नि0)–XVI, व्या0क0, कानपुर	1	2003–04 नवम्बर–04	उपलब्ध नहीं	0.20	0.10	शून्य
24.	असि0क0,खण्ड–IV, व्या0क0, लखनऊ	2	2002–03 फरवरी–04	10.00	0.50	0.25	0.24
			2001–02 जनवरी–03	25.00	1.00	0.50	0.50
25	डि0क0, (क0नि0)– IV, व्या0क0, लखनऊ	1	2004–05 अगस्त–05	2.00	0.08	0.04	0.04
26.	डि0क0, (क0नि0)– VI, व्या0क0, लखनऊ	1	2002–03 सितम्बर–03	404.00	16.34	8.17	शून्य
	योग	30		2481.99	145.13	72.60	52.26

परिशिष्ट–ग
न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्रा के कम उठान के कारण आबकारी अभिकर की क्षति
(प्रस्तर सं0– 3.2.9)

(लाख रूपये में)

क0 सं0	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों की संख्या	एम जी0 क्यू (बी एल मे)	उठाया गया एम जी0 क्यू (बी एल मे)	कम उठाया गया एम जी0 क्यू (बी एल मे)	अभिकर की दर (प्रति बल्क ली0) (रूपये में)	राजस्व की क्षति
1	जिला आब0अधि0 गोरखपुर	2003-04 2004-05	8 26	59,800 5,09,813	48,617.120 4,92,365.620	11,182.880 17,447.380	79 79	8.83 13.78
2	जिला आब0अधि0 सहारनपुर	2002-03	5	1,74,000	1,66,217.895	7,782.105	[1]82	6.38
3	जिला आब0अधि0 कुशीनगर (पड़रौना)	2004-05	9	1,13,513	1,04,412.600	9100.400	79	7.19
4	जिला आब0अधि0 झॉसी	2003-04	54	4,80,469	4,57,290.500	23,178.500	79	18.32
	योग		**102**	**13,37,595**	**12,68,903.735**	**68,691.265**		**54.50**

[1] 42.8 % v/v तीव्रता के लिये आबकारी शुल्क 82.00 रूपये प्रति बल्क लीटर

परिशिष्ट–'घ'
पी0डी0–2 अनुज्ञापन के नवीनीकरण में विलम्ब
(प्रस्तर सं0– 3.2.13)

क0 सं0	इकाई का नाम	2000–01 नवीनीकरण की तिथि विलम्ब वर्ष–माह–दिन	2001–02 नवीनीकरण की तिथि विलम्ब वर्ष–माह–दिन	2002–03 नवीनीकरण की तिथि विलम्ब वर्ष–माह–दिन	2003–04 नवीनीकरण की तिथि विलम्ब वर्ष–माह–दिन	2004–05 नवीनीकरण की तिथि विलम्ब वर्ष–माह–दिन
1.	मैं0 जगजीत इनडस्ट्रीज और आसवनी, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	5-7-2000 0-3-07	30-7-2001 0-4-0	9-1-2003 0-9-09	24-4-2003	27-3-2004
2.	मोहन मीकीन्स आसवनी, मोहन नगर गाजियाबाद	26-3-2003 2-11-26	26-3-2003 1-11-26	26-3-2003	21-4-2003	1-4-2004
3.	सिम्भौली आसवनी, गाजियाबाद	4-12-2000 0-9-04	2-9-2002 1-5-02	2-9-2002 0-5-02	27-4-2003	27-4-2004
4.	मोदी आसवनी मोदी नगर, गाजियाबाद	8-5-2003 3-1-08	8-5-2003 2-1-08	8-5-2003 1-1-08	7-4-2004 1-0-07	7-4-2004
5.	नारंग आसवनी लि0, नवाबगंज गोण्डा	12-7-2000 0-3-12	7-3-2002	4-12-2002 0-8-04	नवीनीकरण हुआ परन्तु तिथि उल्लिखित नहीं	18-5-2004
6.	बजाज हिन्दुस्तान लि0 आसवनी गोला लखीमपुर खीरी	11-8-2000 0-4-11	12-11-2001 0-7-12	4-12-2002 0-8-04	8-4-2003	27-3-2004
7.	मोहन मीकीन्स आसवनी, लखनऊ	16-8-2000 0-4-16	27-12-2001 0-8-27	नवीनीकरण हुआ परन्तु तिथि उल्लिखित नहीं		22-3-2005 0-11-22
8.	सेन्ट्रल आसवनी एवं ब्रेबरी लि0, मेरठ	5-8-2000 0-4-05	लागू नहीं	31-3-2003	1-5-2003	31-3-2004
9.	सहकारी आसवनी क0 लि0, टपरी, सहारनुपर	लागू नहीं	29-3-2003 1-11-29	29-3-2003	19-6-2003	अभी तक नवीनीकरण नहीं हुआ है
10.	पिलखनी आसवनी, पिलखनी,, सहारनपुर	18-2-2000	15-1-2002 0-9-15	26-4-2002	27-2-2003	26-2-2004
11.	उ0 प्र0 सहकारी आसवनी ननौता, सहारनपुर	लागू नहीं	26-3-2003 1-11-26	26-3-2003 0-11-26	4-12-2005 2-8-04	16-8-2005 0-4-16
12.	करमचन्द थापर आसवनी, उन्नाव	8-1-2003 2-9-08	8-1-2003 1-9-08	8-1-2003 0-9-08	23-4-2003	31-3-2004